सोमवार,
८ दिसंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सेना में नियमित कमिशन-पद

*९९२. **सरदार हुक्म सिंह**: (क) क्या रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५२ में सीनियर डिवीजन आर्मी विंग (वरिष्ठ डिवीजन सेना शाखा) के किन्ही प्रशिक्षणाधीन छात्रों को संघ लोक-सेवा आयोग की योग्यता परीक्षा पास किये बिना ही कमिशन पदों पर नियुक्त किया गया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनकी संख्या कितनी थी तथा उन्हें इस परीक्षा से छट देने की शर्तें क्या थीं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां ।

(ख) १४ ।

इस प्रकार की परीक्षा से छूट देने की मुख्य शर्तें ये थीं कि उम्मीदवार ने—

(१) नैशनल केडट कोर (राष्ट्रीय छात्र सेना) के वरिष्ठ विभाग (सीनियर डिवीजन) में तीन वर्ष सेवा कर ली हो ;

(२) नैशनल केडट कोर के प्रमाण-पत्र 'सी' की परीक्षा पास कर ली हो;

(३) किसी स्वीकृत विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री) प्राप्त कर रखी हो;

(४) १९ से २३ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो । इस शर्त को टैक्नीकल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के सम्बध में २० से २५ वर्ष तक ढीला कर दिया है; तथा

(५) अपने विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के मुख्य अध्यापकों (प्रिंसिपल) से सदाचरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या उम्मीदवार को संघ लोक-सेवा आयोग की बजाय किसी बोर्ड के सामने भी उपस्थित होना पड़ता है ?

श्री सतीश चन्द्र: सामान्यतः राष्ट्रीय रक्षा अकदमी (नैशनल डिफेंस इकाडिमी) में दाखिल होने वाले उम्मीदवारों को संघ लोक-सेवा आयोग तथा सेवाओं के चुनाव बोर्ड के सामने उपस्थित होना पड़ता है । इस विशेष मामले में उन्हें केवल सेवाओं के चुनाव बोर्ड के सामने ही उपस्थित होना पड़ता है ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें राष्ट्रीय अकादमी में दो वर्ष के पाठ्यक्रम पूरा करना होता है या कि यह पाठ्यक्रम कम समय का है ?

श्री सतीश चन्द्र : कमिशन मिलने से पहले उन्हें एक वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करना पड़ता है ।

सरदार हुक्म सिंह : राष्ट्रीय छात्र सेना में कन्या विभाग की संख्या कितनी है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास यह आंकड़ा नहीं है, परन्तु राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (नेशनल डिफेंस इकाडमी) में दाखिल होने के प्रश्न से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, क्या इसे मैं आप का भी फैसला समझूं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह संख्या ५०० से कुछ अधिक है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ कन्याओं को भी परीक्षा-मुक्त सूची में शामिल किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : नहीं, श्रीमान्, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अभी तक किसी लड़की को दाखिल नहीं किया गया है ।

कर का प्रति-व्यक्ति-अनुपात

*९९५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कर का प्रति-व्यक्ति-अनुपात कितना है ?

(ख) क्या भारत सरकारको बिक्री कर लगाने के विरुद्ध कोई विरोध-पत्र मिला है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) लगभग १८ रु० ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि बिक्री कर उपभोक्ता पर पड़ता है ?

श्री त्यागी : हां श्रीमान् ये सारे प्रत्यक्ष तथा उपरोक्ष कर इसमें शामिल कर लिये गये ह ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि प्रारम्भ में इस कर को केवल व्यापारियों से ही वसूल करने का विचार किया गया था तथा उपभोक्ताओं से नहीं ?

श्री त्यागी : चाहे यह प्रान्तीय कर ही हो या भले ही इसे व्यापारियों से या उपभोक्ताओं से वसूल किया जाय, इसका प्रभाव सारी जनता पर पड़ता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किये गये कर की कितनी ही बड़ी राशि को उचित सरकार को नहीं दिया जाता ?

श्री त्यागी : केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार का बिक्री कर वसूल नहीं करती है । उचित सरकारे स्वयं ही इस कर को वसूल करती हैं, अतः इसका उचित सरकार को न देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा आम जनता ने सरकार से बिक्री कर के वसूल न करने तथा इसे बन्द कर देने के प्रतिनिधान किए हैं ?

श्री त्यागी : हां, श्रीमान्, कभी कभी इस प्रकार के प्रतिनिधान प्राप्त होते हैं, परन्तु कर का बन्द करना केन्द्रीय रकार के बस की बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अन्तर्गत ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार समस्त प्रान्तों में बिक्री कर को एकसम करने के लिए कोई उपाय कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर बहस हो चुकी है । एक विधेयक के सम्बन्ध में इस विषय पर सदन में बार बार बहस हो चुकी है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*९९६. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर की स्थापनाकाल से लेकर प्रत्येक वर्ष उत्पादन का परिमाण (तथा यदि सम्भव हो तो मूल्य) क्या रहा है तथा (असैनिक और सैनिक) विमानों की मुरम्मत के सरकारी कारखाने में कितने इंजनों की मरम्मत आदि की गई है (तथा लागत) कितना है ?

(ख) इस कारखाने से भारत की अपनी सैनिक तथा असैनिक विमानों तथा विभिन्न भागों सम्बन्धी आवश्यकताएं कब तक पूरी हो सकेंगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): पिछले तीन वर्षों से एच० ए० एल० को वायु बल के लिए ब्रिटेन से आयात किये गये भागों तथा पुर्जों आदि को मिलाने, जोड़ने तथा लगाने के काम के लिए तथा भारतीय वायु-बल के विमानों की मरम्मत तथा सफाई करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के लिए एक विमान के बनाने के कार्य पर भी लगाया गया है। इसने असैनिक विभागों की ओर से मुरम्मत, निर्माण तथा सफाई का कोई काम नहीं किया है। मुझे खेद है कि कुल काम के बारे में जानकारी का देना लोक-हित में नहीं है। सन् १९४८–४९, १९४९–५०, १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में वायु-सेना के लिए किए गए काम का क्रमशः मूल्य क्रमशः ४७.९५, ७०.०४, १२६.९६ तथा २०५.५९ है।

(ख) इस कारखाने में देश के सैनिक तथा असैनिक जहाजों की मुरम्मत तथा सफाई आदि के पर्याप्त प्रबन्ध हैं। कुछ प्रकार के जहाजों को स्वयं देश में ही बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु देश की सारी सैनिक तथा असैनिक आवश्यकताओं को इस कारखाने द्वारा पूरा करने में कुछ समय लगेगा।

सरदार हुक्म सिंह: क्या वर्ष १९५१ में प्रथम नमूने के जहाज एचटी–२ के गिर कर टूट जाने के बाद दूसरा जहाज बनाया गया था ?

सरदार मजीठिया: हां, श्रीमान्।

सरदार हुक्म सिंह: इसे कब बनाया गया था ?

सरदार मजीठिया: उसी स्थान पर।

सरदार हुक्म सिंह: क्या कारखाने ने एच टी–२ का बनाना आरम्भ कर दिया है ?

सरदार मजीठिया: इस समय ४ प्रथम नमूने के विमानों को जोड़ा जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या एच टी–२ के अतिरिक्त किसी दूसरे विमान को भी जोड़ कर तैयार किया गया है ?

सरदार मजीठिया: एच टी–२ के इलावा और किसी प्रकार के विमान के बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है क्योंकि वें अभी बनाने के क्रम में ही हैं।

श्री मात्तन: मैं जान सकता हूं कि गत कुछ वर्षों में रक्षा विभाग से अतिरिक्त अन्य असैनिक प्रयोजनों से हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट ने कितना काम किया है ?

सरदार मजीठिया: जहां तक असैनिक विमान-मार्गों का सम्बन्ध है, १९४६–४७—५६.४० लाख; १९४७–४८ में १३०.४४ लाख; १९४८–४९—११२.२२ लाख, १९४९–५०—१०५.३२ लाख, १९५०–५१, १२८.६९ लाख, १९५१–५२—१७२.४ लाख।

श्री मात्तन: किस प्रकार का काम किया गया है, रेल का या किसी और प्रकार का ?

सरदार मजीठिया : मैंने ये आंकड़े असैनिक विमान-मार्गों के सम्बन्ध में दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस किस प्रकार का काम हुआ है, रेलवे के डिब्बों का, विमान की मरम्मत का इत्यादि ?

सरदार मजीठिया : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कारखाने में जोड़े गये विमान की लागत इंगलैंड में जोड़े गये तथा भारत में सीधे लाए गए विमान की तुलना में अधिक है ?

सरदार मजीठिया : नहीं, यह सत्य नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट फैक्टरी द्वारा विमानों के बनाने तथा मरम्मत करने में आयात किये गये भागों का कितने प्रतिशत प्रयोग किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : यह आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन फालतू भागों का किन-किन देशों से आयात किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : प्राय: ब्रिटेन से ।

श्री केलप्पन : किन किन पुरजों का आयात किया जाता है तथा किन किन भागों को यहां पर बनाया जाता है ?

सरदार मजीठिया : इस जानकारी का देना कि कौन से पुर्जे यहां बनाये जाते हैं तथा कौन कौन से बाहर से मंगाये जाते हैं, भारत के हित में नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : मैं जान सकता हूं कि भारतीय विमान बल ने एचटी–२ को क्यों केवल उपयुक्त समझा है तथा नागरिक विमान-चालन संचालक महोदय इसे एक अच्छा विम ान क्यों नहीं समझते हैं ?

सरदार मजीठिया : संचरण मंत्रालय इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से उत्तर दे सकता है ।

श्री मात्तन : माननीय मंत्री ने कहा है कि इंग्लैंड की तुलना में भारत में बनाये गये विमान की लागत कोई अधिक नहीं है । क्या माननीय मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि इंग्लैंड तथा भारत में एक विमान की वास्तविक लागत क्रमश: कितनी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह बात प्रत्येक प्रकार के विमान से सम्बन्ध नहीं रखती है ?

श्री मात्तन : एक ही प्रकार के विमान के बारे में ।

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने कहा, मैं ये आंकड़े देने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह फैक्टरी अब लाभ से कार्य कर रही है ?

सरदार मजीठिया : इस समय फैक्टरी लाभ से काम कर रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि दूसरा नमूने का विमान बन कर तैयार हो चुका है । मैं जान सकता हूं कि परीक्षा रूप से कितनी बार उड़ान की जा चुकी है ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है । निश्चय ही मैं इसे स्मरण रखने का प्रयास करूंगा ।

श्री बंसल : पिछले आर्थिक वर्ष में क्या लाभ प्राप्त किये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

पौंड का अवमूल्यन

*९९७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पिछली जुलाई में छपी प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जो पौंड के अग्रेतर अवमूल्यन तथा अमेरिकन डालर से उसके सम्बन्ध-विच्छेद के बारे में थीं;

(ख) क्या पौंड-मुद्रा के अवमूल्यन की दशा में तथा इसका अमेरिक डालर-मुद्रा से सम्बन्ध विच्छेद हो जाने की दशा में भारतीय रुपये तथा पौंड में अमेरिकन डालर के निर्देश से परस्पर अनुपात निश्चित करने की किसी प्रक्रिया सम्बन्धी कोई समझौता, करार या प्रबन्ध किये गये हैं ?

(ग) क्या भारत सरकार ने पौंड-मुद्रा के एकपक्षीय अवमूल्यन कर दिये जाने से जिससे भारत की पौंड-पावना पर अमेरिकन डालर के निर्देश से विपरीत प्रभाव पड़ेगा—बचाव के लिए कोई उपाय अथवा प्रबन्ध किये हैं; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो वे उपाय क्या हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ग) तक । नहीं श्रीमान् ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है ।

सरदार हुक्म सिंह : माननीय मंत्री ने हमारे वित्त मंत्री द्वारा लन्दन में दिये गये भाषण को अवश्य पढ़ा ही होगा कि पौंड मुद्रा को दृढ़ करने की आवश्यकता है । मैं जान सकता हूं कि क्या इसे दृढ़ करने के लिए कोई व्यावहारिक उपाय किये गए हैं ?

श्री त्यागी : मुझे सचमुच पता नहीं लगता कि माननीय मंत्री के भाषण का मुझे स्मरण कराने में क्या प्रयोजन है । अपने मूल प्रश्न में उन्होंने यह जानना चाहा था कि ....

सरदार हुक्म सिंह : आप भाषण को एक ओर रहने दें । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस सम्मेलन में पौंड-मुद्रा को दृढ़ बनाने के लिये कोई क्रियात्मक सुझाव रखे गये हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय वित्त मंत्री इस समय लन्दन में हैं । सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस दिशा में जो भी सम्भव उपाय हो सकेंगे, अवश्य किये जायेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : मैंने सरकार का ध्यान माननीय वित्त मंत्री के भाषण की ओर केवल इसलिये दिलाया था कि उन्होंने ऐसा कहा था कि "पौंड ने डुब्की लगाई है तथा यह देखना हमारा काम है कि यह तैरने लगे तथा कहीं डूब न जाय ।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस सम्मेलन में कोई क्रियात्मक सुझाव रखे गये हैं ?

श्री त्यागी : सम्मेलन बन्द कमरे में किया जा रहा है । वास्तव में जहां तक आर्थिक मामलों का सम्बन्ध है, उन पर खुले आम बहस नहीं की जा सकती । सम्मेलन की कार्यवाही को अत्यन्त भेद की बात समझा जा रहा है । वे प्रयत्न कर रहे हैं तथा मुझे आशा है कि वे सफल होंगे । मैं इन भेदों को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि वे केवल भारत सरकार के ही भेद नहीं हैं, अपितु और सरकारों के भी भेद हैं तथा उनके भेदों को बतलाने में मैं स्वतन्त्र नहीं हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हम यह समझें कि सरकार के पास जानकारी तो है, परन्तु वह लोक-हित में इसे बतलाने को तैयार नहीं या यह कि इसके पास कोई जानकारी है ही नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को सचमुच ही कोई जानकारी चाहिये तो उन्हें माननीय वित्त मंत्री के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिये यह पूछनें से कोई लाभ नहीं है

कि उनके मन में क्या है तथा उन्होंने वहां क्या कहा है। माननीय मंत्री इन ब्यौरों को बतलाने में समर्थ नहीं हैं तथा यदि समर्थ भी हैं तो वह इसे उस समय तक नहीं बतलाना चाहते जब तक कि वहां कार्यवाही चल रही है। वह ऐंसा करना वांछनीय नहीं समझते। जब हम किसी असुविधा का अनुभव करेंगे तो हमें मामले को लम्बा नहीं करना चाहिये तथा समझ लेना चाहिये कि माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है इत्यादि।

श्री टी० एन० सिंह: क्या यह ठीक है कि जितन स्टर्लिंग कन्ट्रीज हैं, हिन्दुस्तान को ले कर के सोने की कीमत नीची करने की तरफ़ कोशिश हो रही है और यदि ऐसा है तो क्या इसके डीवैलुएशन पर और ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा ?

श्री त्यागी: मैंने अर्ज़ किया कि यह तमाम मसले इस वक्त तमाम मुल्क आपस में साथ मिल कर तय कर रहे हैं और इस वक्त यहां पर किसी एक गवर्नमेंन्ट का कमिट करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा दानिशमन्दी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: जभी माननीय मंत्री लौट आयेंगे तो मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें सदन को कोई सूचना देना हुई तो वह अवश्य ही देंगे।

श्री टी० एन० सिंह: मैंने यह प्रश्न इसलिये पूछा कि प्रेस में ऐसी रिपोर्टें छप रहीं है कि अमुक अमुक बातें हो रही हैं। ये रिपोर्टें बहुत खतरनाक हैं तथा इनसे मण्डी पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण मैंने यह पूछा कि क्या यह सत्य है कि भारत तथा अन्य देश सोने के मूल्य को बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री त्यागी: चूंकि प्रेस के अन्दर तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, इस लिए मैं समझता हूं कि यह ज़रूरी है कि उन रिपोर्टस के ऊपर कुछ न कहा जाय और पेपसू को उनके हाल पर छोड़ दिया जाय। जब तक कान्फ्रेंस अपनी कार्रवाई कर चुकेगी तो कान्फ्रेंस की तरफ़ से एक अथोराइज़ड ब्यान शाया कर दिया जायगा जिससे दुनिया को मालूम हो जायगा कि क्या हुआ ?

श्री बंसल: क्या यह बात सच नहीं है कि बावजूद इन रिपोर्ट्स के सोने के दाम नीचे गिर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिये। हम जानते हैं कि जब अत्यन्त भेद के विषयों पर चर्चा चल रही होती है तो पत्रकार बातों के रहस्य को मालूम करने के लिए अपने ढंग से काम लेते हैं तथा बाद में उन्हें प्रकाशित कर देते हैं। अगला प्रश्न।

(अण्डमान) की जनसंख्या में कमी

*९९८. **श्री एस० सी० सामन्त**: (क) क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४१ की तुलना में वर्ष १९५१ की जनगणना के अनुसार अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों की जनसंख्या में कमी हो जाने के कारण क्या हैं ?

(ख) उपनिवेश बनाने तथा लोगों के बसाने की योजना के अन्तर्गत वहां की जनसंख्या में कितने व्यक्तियों की वृद्धि की गई है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उस द्वीप की किसानों की संख्या दूसरे व्यक्तियों की संख्या का केवल छठा भाग है ?

(घ) यदि ऐसा है तो सरकार ने उन द्वीपों को खाद्य के बारे में स्वावलम्बी बनाने के लिए कृषि-कार्यों को बढ़ावा देने की क्या कार्यवाही की है ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार): जन-संख्या में कमी हो जाने का कारण यह है कि १९४२ से लेकर १९४५ में हुए जापान

आक्रमणों से भूक, बीमारी तथा कठोरता से बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा इन द्वीपों में दण्ड-विधान के समाप्त किये जाने के कारण बहुत से भूतपूर्व कैदियों को अपने अपने देश में लौटा दिया गया था।

(ख) १,८५४ व्यक्ति ।

(ग) जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि ४,४११ व्यक्ति तो कृषि का काम करते हैं तथा २६,६५० दूसरे व्यक्ति हैं, परन्तु अन्तिम श्रेणी के व्यक्तियों में १२,००० निकोबारियों को भी शामिल किया गया है जो नारियल की खेती से अपनी जीविका कमाते हैं।

(घ) भारत के शरणार्थियों के बसाने तथा दूसरे उपायों के फलस्वरूप अन्डमान का कृषि-योग्य क्षेत्र १९४७ के २५०० एकड़ों की तुलना में वर्ष १९५१ में ५००० एकड़ हो गया है। बस्ती बनाने की प्रस्तावित पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत २०,००० अधिक एकड़ों के बढ़ाने की प्रस्थापना की गई है जिससे ये द्वीप न केवल स्वावलम्बी ही हो जायेंगे, बल्कि इनके पास खाद्यान्न बच रहेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्तिम जनगणना करने से पहले अन्डमान में अस्थायी जनगणना भी की गई थी ?

श्री दातार : अन्तिम आंकड़े भी लिये जा चुके हैं तथा ये इस प्रकार से हैं :

वर्ष	संख्या
१९५१	३०,९७१
१९४१	३३,७६८

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री द्वारा बतलाये गये जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाने का कार्य आरम्भ हो चुका है ?

श्री दातार : यह कार्य आरम्भ हो चुका है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्डमान को ४००० किसान परिवारों के ले जाने का विचार किया गया है तथा यदि ऐसा है तो इस से पहले कितने परिवारों को ले जाया जा चुका है ?

श्री दातार : जहां तक विस्थापित व्यक्तियों का सम्बन्ध है, १२८९ व्यक्तियों पर सम्मिलित ३५९ विस्थापित कुटुम्बों को पहले ही वहां ले जाया जा चुका है। दूसरों को क्रमशः वहां ले जाया जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को इस आंकड़े में शामिल किया गया है ?

श्री दातार : उन्हें शामिल किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : म जान सकता हूं कि क्या कृषि सम्बन्धी सुविधाओं को अच्छा बनाने के लिए, वहां के पशुओं की गणना भी की गई है तथा क्या इसके परिणामस्वरूप इस बारे में कुछ सुधार या उन्नति की गई है ?

श्री दातार : पशुओं की गिनती अभी नहीं की गई है, परन्तु दूसरे उपाय किये गये हैं जैसा कि परीक्षणात्मक खेतों का बनाना।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं इन द्वीपों में अनाज की कमी की मात्रा जान सकता हूं ?

श्री दातार : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री दामोदर मेनन : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के पश्चिमी तट से लोगों के बसाने के लिए इन द्वीपों में से एक या दो द्वीपों को उनके लिए अलग रख छोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री दातार : भारत के किसी भाग से भी किसी व्यक्ति को वहां जाने की इजाज़त है ।

श्री दामोदर मेनन : मैं जान सकता हूं कि क्या इन द्वीपों में लोगों को बसाने की पंच-वर्षीय योजना में, सरकार ने शरणार्थियों तथा दूसरे व्यक्तियों की संख्या में कोई अनुपात निश्चित कर रखा है ?

श्री दातार : शरणार्थियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई अनुपात निश्चित नहीं किया गया है, परन्तु दूसरों को भी वहां जाने की स्वतंत्रता है ।

श्री केलप्पन : इन द्वीपों को लोगों के बसने योग्य बनाने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री दातार : दोनों द्वीपों की सफाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय किये जा रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि वर्ष १९५२ में पश्चिमी बंगाल से अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों में कितने शरणार्थियों को भेजा गया है ?

श्री दातार : पूर्वी बंगाल से २०२ विस्थापित व्यक्तियों का एक गुट मार्च, १९४९ में गया था । दूसरे व्यक्ति भी इसके बाद जा रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमें ऐसा कोई अनुमान प्राप्त हो सकता है कि कितने व्यक्ति वहां से लौट आये हैं । समाचारपत्रों में इस अभिप्राय की रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि वहां जो व्यक्ति भेजे गये हैं, वे वहां नहीं रहना चाहते तथा वे वापस आ रहे हैं ?

श्री दातार : मुझे इस समय कोई सूचना प्राप्त नहीं है परन्तु में सदन को बतला दूं कि जो व्यक्ति लौट आये हैं, उनकी संख्या कोई अधिक नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सरकार इन शरणार्थियों को क्या सहायता दे रही है ? क्या इस सहायता को वार्षिक सहायता के रूप में दिया जाता है या एक बार कुछ रुपया दे दिया जाता है ?

श्री दातार : उन्हें विभिन्न प्रकार से सहायता दी गई है, उन्हे ज़मीनें दी गई हैं तथा खेती के लिए ऋण भी ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि वहां जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को सरकार कुछ वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री दातार : हम वित्तीय सहायता को ऋणों के रूप में दे रहे हैं ।

श्री अच्युतन : वहां के बड़े बड़े उद्योग क्या क्या हैं ?

श्री एस० सी० सामन्त : क्या हम जान सकते हैं कि पंच वर्षीय योजना में अन्डमान तथा निकोबार में लोगों के बसाने के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

श्री दातार : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु सदन को यह आज के दिन के समाप्त होने तक मिल जायेंगे ।

गाडगिल समिति

***९९९. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखेंगे जिसमें गाडगिल समिति की सेवाओं के महंगाई भत्ते सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातों के बारे में की गई सिपारिशों तथा इन सिपारिशों के वित्तीय प्रभावों का वर्णन होगा ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : इस बारे में ध्यान श्री एस० एन० दास द्वारा १२ नवम्बर को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२५ तथा सदन पटल पर रखे गये महंगाई भत्ता समिति की रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण की ओर दिलाया जाता है । यदि

सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तो केन्द्रीय सरकार के कोष में से ५ करोड़ अधिक रुपया खर्च करना होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या इन सिफारिशों को सभी राज्यों में एकरूप से कार्यान्वित किया जायगा तथा क्या वे केवल केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में ही हैं ?

श्री त्यागी: इस समिति को केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल केन्द्रीय कर्मचारियों की अवस्था जानने के बारे में ही नियुक्त किया गया था ।

श्री एल० एन० मिश्र: रेलवे सेवाओं पर प्रभाव रखने वाली सिफारिशें क्या क्या थीं ?

श्री त्यागी: रेलवे सेवायें केन्द्रीय सेवाओं में शामिल हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो डिअरनेस अलाउंस का आधा हिस्सा तन्ख्वाह में मिला दिया गया है उसके बाद जो ऐलाउंस कैलकुलेट किया जायगा या आंका जायगा, वह पुरानी तन्ख्वाहों पर आंका जायगा या बढ़ी हुई तन्ख्वाहों के अनुसार ?

श्री त्यागी: पुरानी तन्ख्वाहों के अनुसार आंका जायगा । सिर्फ इतनी बात हुई है कि जो डिअरनेस ऐलाउंस का आधा हिस्सा तन्ख्वाहों में डाल दिया गया है उससे गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस को अपनी पेन्शन के मामले में फायदा पहुंचेगा और साथ साथ यह भी तजवीज़ किया गया है कि उसकी तन्ख्वाह के बढ़ जाने की वजह से जो १० फी सदी मकान का किराया लिया जाता था, वह पुरानी तन्ख्वाह पर तो दस फी सदी ही लिया जायगा, लेकिन जो ऐलाउंस का आधा हिस्सा मिलाया जायगा, उस पर सिर्फ ५ फीसदी लिया जायगा । इस तरह से कुछ किराये का भी फायदा हो जायेगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस द्वारा नियन्त्रित आई० एन० टी० यू० सी० जैसी संस्थाओं के अतिरिक्त दूसरी संस्थाओं ने महंगाई भत्ते को पूर्णत: मूल वेतन से मिला दिये जाने की मांग की थी, तथा यदि ऐसा है तो इस मांग को रद्द करने का कारण क्या था ?

श्री त्यागी: मेरी जानकारी के अनुसार समिति ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की लगभग २७५ संस्थाओं को एक प्रश्नावली भेजी थी । इसके अतिरिक्त उक्त प्रश्नावली को राज्य सरकारों को भी भेजा गया था तथा लिखित गवाहियों के अतिरिक्त प्रेस की सहायता से लोक-सहयोग प्राप्त करने की भी चेष्टा की थी । इसने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मौखिक गवाहियों को भी लिखा था तथा बम्बई, मद्रास, नागपुर, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर तथा दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारियों की गवाहियों को भी। इसने बम्बई के अर्थ तथा समाज विज्ञान विद्यालय के संचालक डा० सी० एन० वकील जैसे अर्थ विशेषज्ञों से व्यक्तिगत रूप से भी विचार विनिमय किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का प्रश्न यह नहीं था । उनका प्रश्न यह था कि क्या आई०एन०टी०यू०सी० ने कोई प्रतिनिधान किया था तथा यदि किया था तो वे प्रतिनिधान क्या थे ।

श्री त्यागी: यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था ने क्या मांग की थी तो मेरे लिये उन सब बातों का इस समय याद करना सम्भव नहीं है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: क्या यह सत्य है कि.....

उपाध्यक्ष महोदय: यदि इसका तथ्य होना स्वीकार किया जा चुका है तो फिर

माननीय सदस्य उस पर क्यों प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री के० सुब्रह्मण्यम : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि नहीं .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्पष्टतः रिपोर्ट को पढ़ लिया है । वह क्या सूचना चाहते हैं ?

श्री दामोदर मेनन : वह उस मांग को रद्द कर देने के कारणों को जानना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं रिपोर्ट को ही क्यों नहीं पढ़ लेते ? जहां तक इन रिपोर्टों का सम्बन्ध है, मैं सभी माननीय सदस्यों से रिपोर्ट के पढ़ने पर जोर देना चाहता हूं जिस से अपने आप सूचना मिल जायगी । यदि किसी सूचना का अभाव हो या कुछ अधिक स्पष्टिकरण चाहिये तो उसे प्रश्नों द्वारा पूछा जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इसे सदन-पटल पर रखा गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि संक्षिप्त विवरण को रखा गया था ।

श्री त्यागी : इसे सदन पटल पर रखा गया था ।

विश्व बैंक से ऋण

*१०००. **श्री नानादास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त-निगम के साधनों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने की प्रस्थापना की गई है;

(ख) क्या इस प्रकार के ऋण के लिए समझौते की कोई वार्त्ता आरम्भ की गई है;

(ग) कितनी राशि के ऋण लेने की प्रस्थापना की गई है तथा किन शर्तों पर;

(घ) ऋण कितने समय के बाद लौटाया जायगा तथा ब्याज की दर क्या होगी;

(ङ) क्या ऋण को डालर-मुद्रा में लिया जा रहा है;

(च) यदि ऐसा है तो क्या इसे अमरीका में ही व्यय किया जायगा अथवा दूसरे डालर-मुद्रा वाले क्षेत्रों में; तथा

(छ) इसे किस प्रयोजन से काम में लाया जायगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां । भारत के औद्योगिक वित्त-निगम द्वारा ऋण के प्रत्यक्ष रूप से लेने की प्रस्थापना की गई है ।

(ख) प्रस्तावित ऋण के बारे में समझौते की वार्ता चलती रही है ।

(ग) ऋण की राशि को अस्थायी रूप से ८० लाख डालर निश्चित किया गया है । ऋण की शर्तों को अभी अन्तिम रूप तो नहीं दिया गया है, परन्तु जहां तक मूलधन तथा ब्याज के लौटाये जाने का सम्बन्ध है, भारत सरकार को प्रत्याभूति देनी होगी ।

(घ) अभी तक अन्तिम फैसला तो नहीं किया गया, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने १२ वर्ष में लौटाये जाने वाले ऋण लेने की अवस्था में तथा ऋण की राशि के अन्तिम रूप से निश्चित कर देने की अवस्था में ४।। प्रतिशत ब्याज का सुझाव रखा है ।

(ङ) ऋण की राशि का उसके बराबर डालरों की संख्या में भी उल्लेख किया जायगा, परन्तु ऋण उन कई एक मुद्राओं में लिया जायगा जिनमें विदेशों से मशीनों का आयात करने वाले भारतीय औद्योगिक वित्त-निगम से लिए गये ऋणों का उक्त निगम को भुगतान करेंगे ।

(च) यह कोई आवश्यक नहीं है । भारतीय वित्त-निगम से उधार लेने वालों को इस बात की खुली छट है कि वे जिस देश से चाहें, मशीनें खरीद सकते हैं तथा मशीनों के

बनाने वाले जिस मुद्रा में भुगतान की मांग करेंगे, वित्त-निगम ऋण लिये गये धन से उसका भुगतान कर सकेगी ।

(छ) ये ऋण भारत के उद्योग-विकास के लिए दिये जाते हैं तथा ये पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में भुगतान करने वाले ऐसे औद्योगिक व्यवसायों के विदेशी मुद्राओं के व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे जिनके लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था इस निगम द्वारा की जाती है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि देश के अन्दर ऐसे किसी ऋण की प्रस्तावना के बारे में सरकार गारंटी देने के लिए तैयार है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न हो सकता है । यह केवल विश्व बैंक से लिए गये ऋण के बारे में है । हमने औद्योगिक वित्त-निगम पर चार पांच दिन लगा दिये हैं तथा बहस का मुख्य विषय यही बात रही है । इस से हम अन्तर्देशीय ऋणों की चर्चा कैसे छेड़ सकते हैं ?

कुमारी आनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या विश्व बैंक में हमारी कोई सम्पत्ति है ?

श्री एम० सी० शाह : कम से कम हम विश्व बैंक में अंशदान देने वाले सदस्य तो अवश्य हैं ।

कुमारी आनी मस्करीन : मैं राशि को ज्ञात करना चाहती हूं ।

श्री एम० सी० शाह : कुल अंशदान ४० करोड़ डालर है । इसमें से हमें ८ करोड़ डालर देने पड़ते हैं । यह धन प्रथम बार मांग किये जाने पर देना होगा । हमने ८० लाख तो डालर-मुद्रा में दिये हैं तथा शेष रुपये मुद्रा में तथा बिना ब्याज के अहस्तान्तरणीय ऋण पत्रों में ये ऋण-पत्र रिजर्व बैंक आफ़ इन्डिया में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के खाते में पुनर्निर्माण तथा विकास के प्रयोजन से पड़े हैं ।

कुमरी आनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि पौंड की तुलना में रुपयों की दर कितनी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व बैंक के ऋणों से उत्पन्न होने वाली आय पर आय-कर लगेगा ?

श्री त्यागी : इस पर आय-कर नहीं लगेगा ।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय सदस्य ने इस बात का संकेत दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने ४ १/२ प्रति शत ब्याज की मांग की है । ब्याज तथा सरकारी गारंटी के अतिरिक्त जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अधिकार-पत्र के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यकता है, क्या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी और गारंटी तथा प्रतिभूति की भी मांग की जाती है ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं श्रीमान्, किसी और गारंटी या प्रतिभूति की मांग नहीं की जाती है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व बैंक ने आई० एफ० सी० संस्था द्वारा दिये गये ऋणों की जांच पड़ताल करने के लिए भारत में कोई मिशन भेजा था तथा यदि ऐसा है तो इसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, श्रीमान् । एक मिशन यहां आया था । उन्होंने सर्व प्रथम भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त-निगम द्वारा दिये जा रहे ऋणों के बारे में बहस की थी । केवल इतना ही नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसे औद्योगिक व्यवसायों का पहले से निरीक्षण

किया था जिन्हें इस वित्त निगम द्वारा ऋण दिये गये थे तथा उन्होंने ऐसे दस व्यवसायों का निरीक्षण किया था और वे सन्तुष्ट हो गये थे। बात ऐसी नहीं। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि औद्योगिक वित्त निगम ने बड़ी सावधानता की रीति से काम किया था तथा कि वह एक ठोस आर्थिक नीति पर चल रही है। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के पदाधिकारी यहां पर बातचीत करने आये थे। सारे मामले पर वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी तथा इसके बाद उन्होंने भारत से वाशिंगटन में एक प्रतिनिधिमण्डल को बुलाया था, जिस सम्बन्ध में श्री सोनलकार वहां गये थे।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: मैं जान सकता हूं कि क्या औद्योगिक वित्त निगम के काम की जांच पड़ताल करने के लिए आये हुए प्रतिनिधियों के सन्तोष के हेतु ही सरकार से प्रतिभूति मांगी गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक निगम औद्योगिक वित्त निगम को दिया गया एक ऋण है। ये काम औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आरम्भ नहीं किये गये हैं।

श्री एन० श्रीकान्त नायर: माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें .....से संतोष है....

उपाध्यक्ष महोदय: यह कहते हैं।

श्री वी० पी० नायर: मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व बैंक ने भारत में छान बीन करने के बाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा, यदि की है, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट की कोई प्रतिलिपि सदन पटल पर रख सकेगी ?

श्री एम० सी० शाह: उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, परन्तु सरकार उसे सदन पटल पर नहीं रख सकती।

श्री नटेशन: क्या मैं जान सकता हूं कि विश्व बैंक के प्रति भारत सरकार को (१) ऋणों के रूप में तथा (२) प्रत्याभूतियों के रूप में अन्तिम रूप से दायित्व क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। इस अभिप्राय की शिकायत की गई थी कि अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है। उसी बात के फिर से पूछने का क्या लाभ ? मैं समझता हूं कि इसके पूछने से कोई लाभ नहीं है।

श्री एस० एन० दास: प्रश्न के भाग (छ) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि यह ऋण औद्योगिक विकास के लिए है। श्रीमान्, क्या मैं उन उद्योगों को निश्चित रूप से जान सकता हूं जिन के लिए ये ऋण दिये गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह: औद्योगिक विकास निगम ने सभी राज्यों, व्यापारिक व्यवसायों, बैंकों आदि को एक प्रश्नावली जारी की थी तथा उन्होंने औद्योगिक व्यवसायों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने का प्रयत्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या १००२.

श्री एम० एल० द्विवेदी: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न नम्बर १००१ के सामने "ओमिटेड" लिख दिया गया है। मैं जानना चाहता था कि जब यह प्रश्न स्वीकार कर लिया गया तो फिर "ओमिटैड" इसके आगे क्यों लिखा गया ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह प्रश्न माननीय सदस्य का है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी: जी नहीं, यह मेरे नाम में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न क्या है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रश्न की संख्या १००१ है, परन्तु इसके सामने "ओमिटेड" लिखा हुआ है । मैंने प्रश्न-पत्र में इस प्रकार के व्यवहार को पहली बार देखा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस प्रश्न के स्वीकार हो जाने पर भी "ओमिटेड" शब्द क्यों लिखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रश्न के रूप में यह बात पूछने की आवश्यकता नहीं है । इसमें कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं सदन में किस प्रश्न को उपस्थित करूं ?

निस्सन्देह, यदि प्रश्न वास्तव में स्वीकार्य हों तो उन्हें लिखित में लाया जाता है । उन्हें मंत्रालय को भेजा जाता है तथा मंत्रालय के अनुसार उनका उत्तर पहले ही दिया जा चुका होता है । इन परिस्थितियों में प्राय: ऐसा हो जाता है । यह पहली बार है कि ऐसा हुआ है । इस विषय में विस्तार से जाने तथा सदन के समय को लेने की आवश्यकता नहीं है । यदि माननीय सदस्य का प्रश्न होता और उसे 'ओमिटेड' (निकाला) किया गया होता तो बात समझ में आ सकती थी । सम्भवत: प्रश्न को वापस ले लिया गया होगा ।

ब्रिटिश तथा अमेरिकन कम्पनियों की सहायक कम्पनियां ।

*१००२. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण के रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गई हो :

(क) भारत में काम कर रही सभी ब्रिटिश कम्पनियों की सहायक कम्पनियों की सूची ।

(ख) भारत में काम कर रही समस्त अमेरिकन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों की सूची; तथा

(ग) ऐसी विदेशी कम्पनियों की सूची जिन्हें भारत में पंजीबद्ध कराया गया है तथा जो रुपया मुद्रा में कारबार करती हैं; साथ ही उनके द्वारा लगाया गया कुल धन तथा वास्तविक देश का उल्लेख किया जाय ?

वित्त **उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) तथा (ख) । अपेक्षित जानकारी के सम्बन्ध में, जहां तक कि वह सरकार को उपलब्ध है, एक विवरण सदन पटल पर रखा जात है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]**

(ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसके एकत्र करने में जो श्रम होगा, उससे उतना लाभ नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि सदन कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता । अब मैं अगले प्रश्न को लूंगा ।

श्री तुषार चटर्जी : श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । प्रत्येक कम्पनी में अमेरिकन पूंजी कितनी लगी है तथा वह पूंजी देश की कुल पूंजी से किस अनुपात में है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं इसका भाग (ग) में उत्तर दे चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सूची में राशियों का उल्लेख भी किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : वह क्या पूछना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि अमरीकन कम्पनियों ने यहां की सहायक कम्पनियों में कुल कितनी पूंजी लगा रखी है ।

श्री एम० सी० शाह : इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारत के वैदेशिक दायित्व तथा सम्पत्ति सम्बन्धी आंकड़ों की ओर दिलाऊंगा । वे पुस्तकालय में मिल सकते हैं तथा यदि वह विवरण ११ और १२ की ओर निर्देश करें तो उन्हें सभी आवश्यक जानकारी मिल जायगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस बात को विचार करते हुए कि ये कम्पनियां भारतीय हितों की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही हैं, सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझ नहीं सका हूं.....

श्री टी० एन० सिंह : प्रेस में ऐसी रिपोर्टें छपी हैं कि ये कम्पनियां कई तरीकों से सम्पत्ति को बाहर भेज रही हैं तथा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उपाय किये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के कहने का मतलब यह है कि ये कम्पनियां भारत के सर्वोत्तम हितों में काम नहीं कर रही हैं तथा वह पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार इस मामले पर देख रेख कर रही है तथा यदि कर रही है तो क्या इसमें कुछ सत्य है ?

श्री एम० सी० शाह : निश्चय ही सरकार इस पर देख रेख कर रही है तथा वह सारे राष्ट्र के हितों पर अवश्य ही ध्यान देगी।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या म जान सकता हूं कि ये सहायक कम्पनियां कुछेक नफे वाले उद्योगों में ही लगी हुई हैं तथा क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि कोई कम्पनियां दीर्घ-कालीन योजनाओं में भी व्यस्त हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सूची में उनका वर्णन नहीं है ?

श्री वी० पी० नायर : नहीं, श्रीमान्।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, रुपया मुद्रा में भारत में पंजीबद्ध सभी कम्पनियां भारतीय ही हैं जो भारतीय कम्पनी अधिनि म के अन्तर्गत पंजीबद्ध है। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर म में पहले से कह चुका हूं कि कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

श्री **वी० पी० नायर :** मेरे प्रश्न का यह कोई उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि ये सहायक कम्पनियां उद्योग के केवल कुछ क्षेत्रों में ही अपना प्रभाव जमा रही हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह जानकारी उस पुस्तक में दी गई है। वह पहले यह बतला चुके हैं। माननीय सदस्य ने इसे सुना नहीं है। यह रिजर्व बैंक के उक्त प्रकाशन में दी गई है।

श्री **वी० पी० नायर :** श्रीमान्, मैंने वह प्रकाशन देखा है। उसमें पूंजी के जमाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी लिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं ?

श्री एस० सी० शाह : नहीं, श्रीमान्।

श्री गाडगिल : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बारे में सतर्क (**अन्तबाधा**) है कि भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के पर्दे में विदेशी पूंजी का यहां पर बड़ी दृढ़ता से जमाव किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपने अपने मत का प्रश्न है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये तथा देखना चाहिये।

डा० एन० बी० खरे : यह एक तथ्य है।

श्री **गाडगिल :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक तथ्य है तथा क्या गत तीन वर्षों से यह मनोवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी अपने अपने मत का प्रश्न है।

श्री गाडगिल : यह बात आज से तीन वर्ष पहले तथा आज के आंकड़ों की परस्पर तुलना से सम्बन्ध रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात को अपनी इच्छा से रद्द नहीं करना चाहता। उस धन को अच्छी नियत से किन्हीं प्रयोजनों में लगाया जा सकता है। वास्तव में यह दावा

किया गया है कि भारत के हित में इस धन को लगाया जाना चाहिये । अब सरकार से यह बात पूछी गई है कि क्या यह लगाया गया धन देश की वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक तो नहीं है । यह अपने अपने मत का प्रश्न है ।

लाला अचिन्त राम : क्या इस प्रकार से लगाये गये धन को बढ़ाया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक ओर तो आप चाहते हैं कि अधिक धन लगाया जाय, दूसरी ओर आप इसके लगाये जाने की शिकायत कर रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि ऐसे उद्योगों में पांव जमाने की मनोवृत्ति पाई जाती है जिनके सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये सहायक कम्पनियां केवल संरक्षित उद्योगों की ओर ही ध्यान दे रही है क्योंकि इसमें कम खतरा है ?

श्री एम० सी० शाह : इस प्रश्न का उत्तर माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यूरोपियन स्वामित्व की कम्पनियों में भर्ती किये गये कर्मचारियों के वेतन-क्रम में कुछ विभेद किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दूर करने के कोई उपाय कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन विदेशी व्यवसायों में भर्ती किये गये विदेशियों के वेतन के बारे में कोई विभेद किया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : माननीय सदस्य को विदित होना चाहिये कि सरकार इस बारे में सतर्क है तथा वह भारतीय कर्मचारियों के भर्ती किये जाने के बारे में कार्यवाही कर रही है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान्, मेरा प्रश्न और था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दास का नाम पुकारा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह तथ्य है कि सरकार ने इन व्यवसायों से कुछ जानकारी मांगी थी तथा वह इस समय पर नहीं दे सके ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्राय: माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ध्यान देते हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार विभेद को दूर करने के––तथा भारतीय करण के नहीं––कोई उपाय कर रही है । ये दोनों अलग अलग बातें हैं ।

श्री एम० सी० शाह : मैं पहले कह चुका हूं कि इस प्रश्न का सम्बन्ध माननीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री से है ।

त्रिपुरा में वन सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

*१००३. **श्री दशरथ देव :** क्या **राज्य-**मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ में त्रिपुरा में कितने व्यक्तियों को वन सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड दिया गया है;

(ख) उनसे जुरमाने के रूप में कितना धन वसूल किया गया है; तथा

(ग) सरकार को त्रिपुरा के रक्षित जंगलों से कितनी आय होती है ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १५८ ।

(ख) १३१ रु० ।

(ग) रक्षित जंगलों के सम्बन्ध में पृथक रूप से कोई लेखे नहीं रखे जाते हैं । फिर भी मैं यह बतला सकता हूं कि आय-

व्ययक अंक में वर्ष १९५२-५३ में रक्षित वनों से प्राप्त आय को ९ लाख रु० दिखलाया गया है ।

श्री दशरथ देव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि रक्षित वनों के क्षेत्र में बसे हुए ग्रामों के लोगों को भी काम के सम्बन्ध में बाहर आने पर पुलिस द्वारा बिना किसी भेद किये पकड़ा जा रहा है ?

श्री दातार : बिना उचित कारण के उन्हें नहीं पकड़ा जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष मामला है तो इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाया जा सकता है तथा उनकी सहायता ली जा सकती है । इस प्रकार के सामान्य प्रश्नों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री के ध्यान में इस प्रकार की अवैध पकड़ धकड़ के मामलों को लाया गया है जिन में लोगों के सामान्य काम म रुकावट डाली गई है ?

श्री दातार : सरकार के ध्यान में अवैध पकड़ धकड़ के किसी मामले को नहीं लाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कमुझे तंजोर के माननीय सदस्य द्वारा त्रिपुरा के मामले को उठाने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ था । कोई माननीय सदस्य कोई मामला उठा सकता है । परन्तु जब तक किसी माननीय सदस्य को निजी रूप से कुछ पता न हो या किसी और माध्यम से जानकारी को प्राप्त न किया हो, तब तक उन्हें उत्तर पाने तथा बाद में उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के अभिप्राय से किसी अकेले प्रश्न को नहीं पूछना चाहिये ।

श्री नबिम्बयार : श्रीमान्, मेरे पास कुछ सूचना है **(अन्तर्बाधाएं)** ।

श्री सैयद अहमद : उन्हें प्रश्नों को पूछना नहीं आता । आप उन्हें सिखलाएं ।

कृषि सम्बन्धी ऋण

***१००४. श्री दशरथ देव :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ में त्रिपुरा से कितने किसानों ने कृषि सम्बन्धी ऋणों के लिए प्रार्थनापत्र दिये थे; तथा

(ख) कितने व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऋण स्वीकार किये गये हैं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ४,५८६।

(ख) १,०९७।

श्री दशरथ देव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि वर्ष १९५२ में कृषि सम्बन्धी कुल कितना ऋण दिया गया है ?

श्री दातार : भारत सरकार ने व १९५२ में त्रिपुरा के आदिम जातियों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो कृषि सम्बन्धी ऋण स्वीकार किये हैं, उनकी राशि कोई १,३५,००० रु० है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस सिद्धान्त से ?

श्री दातार : ४,५८६ व्यक्तियों में से १,०९७ व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऋणों के रूप में कितना धन दिया गया है ?

श्री दातार : इस में से १,१०,००० रु० पहले ही दिये जा चुके हैं ।

श्री दशरथ देव : प्रत्येक किसान को अधिक से अधिक तथा कम से कम कितनी राशि दी गई है तथा किस सिद्धान्त के अनुसार ?

श्री दातार : फसली कृषि सम्बन्धी अधिनियम १,३१० के अन्तर्गत कम से कम ऋण १००० रु० का तथा अधिक से अधिक ऋण ५००० रु० का दिया गया है ।

श्रीमती मायदेव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार औद्योगिक वित्त-निगम के आधार पर कृषि सम्बन्धी वित्त-निगम की स्थापना का भी विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या केवल त्रिपुरा के सम्बन्ध में ?

श्रीमती मायदेव : सारे भारत के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विस्तृत सा प्रश्न है ।

बीमा कम्पनियां

*१००५. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १५ अगस्त, १९४७ तथा, १५ नवम्बर, १९४७ के बीच के काल में कितनी बीमा कम्पनियों के कार्यभार को अपने हाथ में ले लिया है ?

(ख) सरकार ने ऐसा किस कारण किया है ?

(ग) कम्पनी के इस प्रकार सरकार द्वारा सम्हाले जाने के बाद उसका कार्यप्रबन्ध कौन करता है ?

(घ) इन कम्पनियों के प्रबन्ध के चलाने पर सरकार कितना व्यय करती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) इन सात कम्पनियों के कार्यभार की सरकार ने स्वयं सम्हाल लिया है : यूनियन लाइफ एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई; एम्पायर आफ इण्डिया लाइफ इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई; ज्यूपिटर जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई; ट्रापिकल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली; नैशनल मर्केन्टाइल इन्श्योरेंस कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता; फेमस लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई; तथा ईस्ट एण्ड वैस्ट इन्श्योरेंस कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई ।

(ख) वे अपने काम को इस प्रकार से चला रही थीं जो पालिसी वालों के हितों के विरुद्ध था ।

(ग) बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा ।

(घ) श्रीमान् कुछ भी नहीं । प्रशासकों के वेतन कम्पनियों की निधियों में से दिये जाते हैं ।

श्री कास्लीवाल: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि देश में कुल कितनी बीमा कम्पनियां काम कर रही ह ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री बेलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन कम्पनियों के कितने संचालकों के विरुद्ध सरकार ने मुकदमे चलाये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : प्रशासक इन मामलों की जांच करते हैं तथा जहां आवश्यक हो, कार्यवाही करते हैं । यदि मेरे माननीय मित्र इन सात कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो यह एक लम्बी बात होगी । जिस समय से इन सात कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार किया गया था, उस समय से लेकर आज तक इन कम्पनियों की कार्यवाही की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा : मैं जान सकती हूं कि क्या उन कम्पनियों के सरकार द्वारा सम्हाल जाने के बाद इनका आवर्ती व्यय बढ गया है या कम हो गया है ।

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं यह खर्च कुछ कम हो गया है । प्रशासक इस बात को सुनिश्चित करने के उपाय करते हैं कि उन कम्पनियों को फिर से चलाया जा सके तथा उन्हें दूसरी कम्पनियों को सौंपा जा सके ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि सरकार के अधीन आने से पहले इन कम्पनियों की कितने धन की हानि हुई है तथा संचालकों से इस धन को वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं पहले इस बात का उत्तर दे चुका हूं कि इन सात कम्पनियों में लगे धन सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के पास प्रत्येक कम्पनी के कागज हैं । यदि माननीय सदस्य को रूचि हो तो वह ये कागज उन्हें उपलब्ध कर सकेंगे ।

श्री मात्तन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कम्पनियों के सरकार द्वारा सम्भाले जाने के बाद इनका व्यापार बढ गया है ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान, जिन्दगी के बीमे के इस काम को केवल कुछ कम्पनियों द्वारा ही किये जाने की अनुमति दी जायेगी । संचालकों तथा उनके एजन्टों द्वारा किये गये आपत्तिजनक कामों तथा दिवालियापन के कारण केवल उन्हीं कम्पनियों को जिन्दगी के बीमे का काम करने की अनुमती दी गई है जिनके सम्बन्ध में इसे व्यावहारिक समझा गया है । ज्यूपीटर तथा एम्पायर को ऐसा करने की इजाज़त दी गई है । अन्य कम्पनियों को जिन्दगी के बीमे के काम की अनुमती नहीं दी गई है ।

श्री मात्तन : श्रीमान, क्या इस बात को विचार में रखते हुये कि सरकार अधिक से अधिक कम्पनियों को अपने हाथों में ले रही है तथा पंच वर्षीय योजना के लिये आवश्यक इतनी आधिक राशी को ध्यान में रखते हुये, सरकार बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान, मेरा विचार है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ये कम्पनियां कुप्रबन्ध करती गईं तो इनका राष्ट्रीयकरण हो जायगा ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकती हूं कि इस समय कितनी कम्पनियों का दिवाला निकल रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : संचालकों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है । जैसा कि मैंने कहा है कि ज्यूपिटर तथा एम्पायर कम्पनियों को जिन्दगी के बीमें के काम की अनुमती दी गई है । प्रशासक महोदय हर मामले की जांच कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इनमें से किन्हीं कम्पनियों का दिवाला किकल रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरी सूचना के अनुसार तो ऐसी कोई बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब उन्हें सरकार अपने हाथों में लेती है तो ऐसा दिवालियापन को टालने के लिये ही किया जाता है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कम्पनियों के पूर्व संचालकों द्वारा क्या आपत्तिजनक काम किये गये थे ?

श्री एम० सी० शाह : माननीय सदस्य कृपया इन रिपोर्टों को पढें ।

मनीपुर के झील क्षेत्रों का कृषि योग्य बनाना

१००६. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि उपमंत्री तथा योजना आयोग की ओर से भेजे गये विशेषज्ञ परामर्शदाता की, जो अक्तूबर, १९५२ में मनीपुर में लोकताक तथा अन्य झील क्षेत्रों को अतिरिक्त पानी के निकालने से कृषियोग बनाने तथा लगभग हर वर्ष बाढ लाने वाली इम्फल नदी तथा अन्य नदियों को नियंत्रित करने की सम्भावना की खोज करने गये थे, रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो क्या सरकार उपरोक्त विशेषज्ञ की रिपोर्ट को मनीपुर राज्य सम्बन्धी पंच वर्षीय योजनाओं में शामिल करने को तैयार है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). **खाद्य तथा कृषि** उपमंत्री महोदय केन्द्रीय जल तथा विद्युत-शक्ति आयोग के एक अधिकारी के साथ मनीपुर में कुछ एक ज्ञातो को देखने गये थे । उनकी रिपोर्टों पर बिचार हो रहा है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं रिपोर्ट की मुख्य बातों को जान सकता हूं ?

श्री दातार : कुछ सिफारिशें की गई हैं तथा उन पर खाद्य तथा कृषि मंत्री और सिंचाई तथा नदि घाटी परियोजना मंत्री द्वारा विचार हो रहा है ।

श्री एल० जे० सिंह : मुख्य सुझाव क्या हैं ?

श्री दातार : यह आयोग मनीपुर में यह देखने गया था कि लोकताक के फालतू जल से इतनी अधिक हानि का कारण क्या है तथा उस दलदली जमीन को किस प्रकार कृषि योगय बनाया जा सकता है जिस से कि अधिक अन्न पैदा किया जा सके । उन्होंने कुछेक सुझाव रखे हैं जिनपर विचार हो रहा है ।

अनुसूचित आदि जातियों के भलाई के काम

१००७. डा० जाटववीर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०, १९५१ तथा १९५२ में अनुसूचित आदिमजातियों तथा आदि-वासियों की भलाई के कामों पर कितने धन का व्यय किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें इस समय उपलब्ध सूचना दो गई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]**

पूरी सूचना मिल जाने पर एक और विवरण सदन पटल पर रखा जायगा ।

श्री के० जी० देशमुख : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस राशि में अनुसूचित आदिमजातियों के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों को भी शामिल किया गया है ?

श्री दातार : मैं शायद गलत हूं तो इसे ठीक कर लिया जाय । इस में यह शामिल नहीं हैं ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या संविधान के अनुछेद २४४ (१) के अर्न्तगत स्थापित की गई मंत्रणा परिषद को राज्य सरकारों को व्यय के लिये दिये गये धन पर नियन्त्रण करने का अधिकार है ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसका रूप मंत्रणा समिति का है तथा इसके परामर्श को प्राय स्वीकार कर लिया जाता है ।

श्री पी० एन० राजभोज: प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

श्री दातार : यह एक बहुत लम्बी सूचि है । श्रीमान्, यदि मुझे अनुमति दी, जाय तो मैं उसे पढ कर सुना दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को इस में रूचि हो तो वह इसकी मांग कर सकते हैं तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान् जो विवरण सदन पटल पर रखा गया है, उसमें मद्रास को केवल ४ लाख रूपये के दिये जाने का उल्लेख है जब कि उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को २२ लाख तथा १२ लाख रूपये दिये गये हैं । क्या मैं इस असमता के कारण जान सकता हूं ?

श्री दातार : श्रीमान यह बात प्राप्त रिपोर्टों तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं के बारे में हमें भेजी गई सामग्री पर निर्भर करती है। इन राशियों का हम से किये गये दावों से सम्बन्ध है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान, क्या यह सत्य है कि उड़ीसा राज्य ने वर्ष १९५०-५१ तथा वर्ष १९५१-५२ में ४० लाख रूपया का व्यय किया था तथा सरकार ने २२ लाख रूपये उन्हें दिये हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि मद्रास सरकार ने ५० लाख रूपये से भी अधिक का व्यय किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि विभिन्न राज्यों ने दावे किये थे। राज्यों के लिये अपने अपने दावों का उपस्थित करना जरुरी है। आप अधिक से अधिक धन के पाने की बात कहते हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या सरकार अनुसूचित तथा आदिवासी जातियों के लिये रखे गये धन को विचार में रखते हुये अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लिये इस राशि में वृद्धि कर देगी ?

श्री दातार : हो सकता है कि अनुसूचित जातियां पिछड़ी हुई जातियां हों।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस राशि के किसी भाग को ऐसी अनुसूचित जातियां पर भी व्यय किया गया है जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : जातियां अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर सकती है।

अनुच्छेद ३३९ के अन्तर्गत आयोग

*१००८. **श्री भीखाभाई :** गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद ३३९ के अन्तर्गत एक आयोग की स्थापना का बिचार कर रही है।

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ऐसी किसी प्रस्थापना पर विचार नहीं हो रहा है।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

निर्मला कालेज दिल्ली (हड़ताल)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्मला कालेज, दिल्ली के विद्यार्थियों ने इन कारणों से हड़ताल कर रखी है :—

(१) कि कालेज के अमरीकन अधिकारियों ने स्वीकृत विधान के अन्तर्गत वहां के विद्यार्थी संघ को मानने से इन्कार कर दिया है ;

(२) कि विद्यार्थी संघ के ५०,०००रु० की निधि को प्रिन्सिपल महोदय ने रोक रखा है ;

(३) कि राज भाटिया नाम के विद्यार्थी द्वारा शान्तिमय पिकिटिंग करने पर एक अमेरीकन अध्यापक ने उसे पांव से ठोकर लगाई थी ;

(४) कि अध्यापकगण के कमरों को अश्वेत तथा पूवेत आधार पर पृथक पृथक रखा गया है ; तथा

(५) कि अध्यापकों के वेतन क्रमों के निश्चित करने में विभेद से काम लिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (१) से (४) तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सारे भागों के उत्तर नहीं में हैं। वास्तव में प्रिन्सिपल महोदय ने आश्चर्य प्रगट किया है कि किसी अध्यापक ने किसी विद्यार्थी पर हमला किया है तथा उन्होंने लिखा है कि यह बात निराधार है ; जहां तक कालेज में श्वेत तथा अश्वेत अध्यापकों के लिये पृथक कमरों तथा उनके वेतन में अन्तर का सम्बन्ध है, यह बात गलत है क्योंकि कालेज

पर दिल्ली विश्वाविद्यालय के नियम लागू होते हैं जो इन बातों में किसी विभेद की अनुमती नहीं देता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं वह कारण जान सकती हूं कि निर्मला कालेज को केन्द्रीय सरकार के हाथों से अमेरिकन अधिकारियों को क्यों दिया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री) : यह कालेज आर्जी तौर पर रिफ्यूजीज के लिये खोला गया था । पर्मानेन्ट तौर पर नहीं खोला गया था । गर्वनमेन्ट ने फैसला किया कि अब इसे बन्द किया जाय । इस वक्त मिशन ने अपनी खिदमात आफर की और गर्वनमेंट ने जरुरी शर्तों के साथ इसे मंजूर कर लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका बिचार इस कालेज को बन्द करने का था जिसे आरम्भ में शरणार्थियों के लिये खोला गया था । इसके बाद शरणार्थियों के न आने अथवा किसी और कारण से सरकार ने कालेज को बन्द करना चाहा । इसके बाद अमेरिकन अधिकारियों ने कालेज के प्रबन्ध को सम्हालने की पेशकश की थी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था कि कालेज के अध्यापकों की छटनी नहीं की जायेगी तथा कि उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जायेगा ?

मौलाना आज़ाद : जी हां ।

श्रीमती रेणु चक्रवती : क्या यह सत्य है कि कुछ भारतीय अध्यापकों की पहले ही छटनी की जा चुकी है या कि किसी को विवश होकर निकलना पड़ा है ?

मौलाना आज़ाद : जी नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि मिस लखारी को जो स्थायी कर्मचारियों में से थी, नए प्रिन्सिपल महोदय के अमेरिका से आने पर तुरन्त ही पद के छोड़ने के लिये विवश किया गया था ?

मौलाना आज़ाद : हमारे सामने यह बात नहीं आई।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि अध्यापकों के वेतन क्रम क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जो वृतान्त-पत्र (चार्ट) आप को दिया गया है, उसमें वेतन क्रमों का वर्णन किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वेतन क्रमों का वर्णन उस वृतान्त पत्र (चार्ट) में किया गया है जिसे सदन पटल पर रखा जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि एक पी० एच० डी० उपाधि प्राप्त डा० शर्मा को केवल ४०० रूपये मिल रहे है जब कि एक अमेरिकन पी० एच० डी० को ८०० रुपये दिये जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को कैसे उठा सकती है ?

डा० एन० बी० खरे : अमेरिकन मिशन ने हम पर इतनी महरबानी क्यों की ?

मौलाना आज़ाद : यह उनसे पूछिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन व्यौरों में नहीं जा सकते । पी० एच० डी० तथा पी० एच० डी० में अन्तर होता है । हो सकता है कि एक व्यक्ति ने उपाधि प्राप्त कर ली है, परन्तु वह इतना योग्य न हो तथा दूसरा व्यक्ति जिसने वही उपाधि प्राप्त की हो, अधिक योग्य हो ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे कहने का तात्पर्य यह है । विश्वविद्यालय कुछ वेतन क्रमों को निश्चित करता है तथा एक सी

योग्यताओं के रखने वालों के लिये एक जैसे वेतन क्रम निश्चित किये गये हैं । इस कारण मैं यह जानना चाहती हूं कि इस विषय में विभेद क्यों किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूं । क्या २५ वर्ष का नवयुवक पी० ऐच० डी० नहीं हो सकता तथा उसकी तुलना में ५० वर्ष का वृद्ध पी० ऐच० डी० नहीं हो सकता ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : सरकार द्वारा हमें बतलाया गया है कि जहां तक प्रश्न में पूछी गई बातों का सम्बन्ध है, उन्हें ग़लत तथा निराधार पाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केवल प्रिन्सिपल महोदय के निर्देश करने से ही इस निश्चय पर पहुंच गई है अथवा कि सरकार ने उन लोगों की शिकायतों पर ध्यान दिया है जिन की शिकायतें इतनी अधिक हैं कि वे इन के दूर किये जाने के बारे में आन्दोलन कर रहे हैं ?

मौलाना आज़ाद : ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट इस वक्त यही कर सकती थी कि युनिवर्सिटी से पूछे, कालेज के प्रिन्सिपल से पूछे । गवर्नमेंट के पास जो इन्फार्मेशन आई, वह हाउस के आगे रख दी गई है । गवर्नमेंट कोई अदालत अभी नहीं बैठा सकती थी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार ने इस बारे में विश्वास कर लिया है कि उक्त कालेज के वेतन तथा भत्ते आदि समस्त बातों के बारे में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं हैं जिन से अध्यापकगण के श्वेत तथा अश्वेत कर्मचारियों में किसी प्रकार के विभेद के होने की भावना के फ़ैलने की सम्भावना न हो ?

मौलाना आज़ाद : यूनीवर्सिटी से पूछा गया और उस ने कहा कि इस तरह का कोई इस्तयाज़ इस में नहीं है । गवर्नमेंट यूनीवर्सिटी से पूछ सकती है और क्या कर सकती है ?

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या अध्यापकों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित किये गये वेतन-क्रम के अनुसार वेतन मिलता है ?

मौलाना आज़ाद : जी हां ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या हड़ताल करने से पूर्व विद्यार्थियों ने कालेज के अधिकारियों को कोई पूर्वसूचना दी थी ?

मौलाना आज़ाद : नहीं, यूनीवर्सिटी अथार्टी के पास कोई स्टूडेंटस नहीं गये ।

डा० एन० बी० खरे : हुज़ूर, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसका जवाब नहीं मिल सकता ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि माननीय मन्त्री ने बतलाया कि यह कालेज अमेरिकन मिशन के अधिकारियों को कुछ शर्तों पर सौंपा गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि वे शर्तें क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस अल्पसूचना प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

डा० राम सुभग सिंह : जी नहीं, परन्तु माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में ऐसा कहा है । अतः मैं इन शर्तों को विस्तार से जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी न किसी प्रकार प्रश्न किया जा चुका है तथा उसका उत्तर दिया जा चुका है । मैं इस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि एक निश्चित समय तक परिस्थिति ऐसी रही है कि एक कमरा तो 'फ़ादर्स रूम' के नाम से तथा दूसरा 'अध्यापकों के कमरे' के नाम से अलग अलग रखा गया था ?

मौलाना आज़ाद : नहीं, जो कुछ हमें मालूम हुआ है, इस के मुताबिक तीन कामन रूम हैं। एक लेडीज़ के लिए, एक साइंस फ़ैकल्टी के प्रोफ़ैसरों के लिए और एक आर्ट के लिये। इसमें इंन्डियन और नान-इंडियन का कोई फ़र्क नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं जान सकती हूं कि क्या कालेज के अधिकारियों तथा विद्यार्थी-संघ के बीच काफ़ी समय से तनाव चल रहा है तथा कुछ महीने पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिस में एक अमेरिकन प्रोफ़ैसर द्वारा एक विद्यार्थी के लात लगाने की बात सुनने में आती है ? अतः यह नया लांछन नहीं है। इसे कई बार दोहराया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के भाग (३) में शामिल है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : नहीं, श्रीमान्। इस अल्पसूचना प्रश्न में जिस घटना के होने का तथाकथित वर्णन है, वह हाल में हुई है। मैं आज से कुछ महीने पहले की घटना का वर्णन कर रही हूं। जब विद्यार्थि संघ तथा अमेरिकन प्राफ़ैसर में झगड़ा हो गया था तथा एक अमेरिकन प्रोफ़ैसर ने किसी विद्यार्थी के लात जमाई थी ?

मौलाना आज़ाद : कोई बात इस तरह की हमारे सामने नहीं है।

श्री के डी० मालवीय : माननीया सदस्या ने जिस बात की ओर निर्देश किया है। उस पर हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री थानू पिल्ले : मैं जान सकता हूं कि क्या यह हड़ताल राजनीतिक दलों द्वारा किसी सन्दिग्ध स्वार्थ के लिए कराई गई थी ? क्या सरकार को यह तथ्य ज्ञात है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रश्न का काफी विस्तार से उत्तर दिया जा चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विभिन्न शिक्षा-प्रणालियों की जांच-पड़ताल

*१९३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विभिन्न शिक्षा-प्रणालियों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा या निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयोगों की जांच पड़ताल के बारे में सुसंगठित ढंग से प्रयत्न किये हैं;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो क्या यह जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है तथा रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है ; तथा

(ग) यदि नहीं तो क्या ऐसा करने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्री (मौलाना आज़ाद). (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार प्राथमिक, बुनियादी, माध्यमिक तथा अध्यापकों की शिक्षा के संबंध में आशाजनक प्रयोगों के बारे में छोटी छोटी पुस्तकों के प्रकाशित करने के उद्देश्य से जानकारी का संग्रह करती रही है, परन्तु पूरी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। जैसा कि माननीय सदस्य को निस्सन्देह पता है, विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जांच इस से पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की जा चुकी है। उसकी रिपोर्ट सदन के पुस्तकालय में मिल सकती है जबकि माध्यमिक शिक्षा के बारे में उसी प्रकार के माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हाल में भारत सरकार द्वारा की गई है।

विश्व बैंक का अधिकारी

*१९४. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विश्व बैंक के उस अधिकारी महोदय

ने जो आज से कुछ समय पहले भारत में आये थे, अपनी कोई रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत की है तथा कोई सिपारिशें की हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस रिपोर्ट की उल्लेखनीय बातें क्या क्या हैं तथा विभिन्न वैभागिक परियोजनाओं के बारे में संक्षेप से क्या क्या सिपारिशें की गई हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). इस वर्ष विश्व बैंक के एक से अधिक प्रतिनिधिमंडल उन विभिन्न योजनाओं संबन्धी वित्तीय सहायता के बारे में भारत आए हैं जिन के सम्बन्ध में विश्व बैंक जांच कराना चाहता था । जो रिपोर्टें ये प्रतिनिधिमण्डल प्रस्तुत करेंगे या पहले से प्रस्तुत कर चुके हैं, 'सीमित' विचार की जायेंगी क्योंकि वे बैंक के प्रबन्धकों को प्रस्तुत की जाती हैं तथा उनका प्रगट करना उचित नहीं है ।

मनीपुर में ईसाई हाई स्कूल तथा कालेज

*१००९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर में इस समय ईसाई हाई स्कूलों तथा कालेजों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन में से किन्हीं हाई स्कूलों या कालेजों ने वित्तीय सहायता मांगी थी तथा यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ;

(ग) क्या इन में से किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है ; तथा

(घ) क्या सरकार इन संस्थाओं के सारे कार्य-प्रबन्ध को सम्हाल लेने का विचार कर रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (घ) तक . सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन पटल पर रखा जायगा

सैनिक निधियां

*१०१०. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सैनिक निधियों की एक बड़ी रक्म को अभी तक विदेशी बैंकों के पास जमा रखा जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन निक्षेपों के प्राप्त करने तथा बाद में इन्हें इंगलैंड भेज देने के लिये विदेशी बैंक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तथा इस के निमित्त व्याज की काफी अधिक दरों की प्रस्थापना कर रहे हैं ?

(ग) बैंक आफ इंगलैंड द्वारा ब्याज की दर को बढ़ा कर ४ प्रतिशत कर दिए जाने के समय से ले कर इंगलैंड में गई पूंजी कितनी है ?

(घ) क्या आय कर विभाग को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह विदेशी-मुद्रा-विनिमय बैंकों की लेखा-पुस्तकों को यह देखने के लिए जांच पड़ताल कर सके कि कहीं आय-कर से बचने के लिए उन में कोई बेलगाव निविष्टियां तो नहीं की गई ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार केवल रेजिमेंटों की निधियों को ही सरकारी कोष या रिजर्व बैंक या इम्पोरियल बैंक आफ इंडिया से बाहर रखा जाता है जिस के लिए सम्बन्धित बैंक को प्रतिभूति निक्षेप जमा करना पड़ता है । सैनिक टुकड़ियों द्वारा भारत में विदेशी बैंकों में जमा कराई गई वास्तविक रक्म का पता नहीं है, परन्तु रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि उनकी जांच पड़ताल के अनुसार विदेशी बैंकों में जमा कराई गई सैनिक निधियों की रक्म कोई बहुत बड़ी नहीं है ।

(ख) कुछ विदेशी तथा भारतीय बैंकों ने निक्षेपों के सम्बन्ध में ब्याज की दर बढ़ा दी है। यह वृद्धि बहुत से देशों में ब्याज की दर के बढ़ने की विधिगति के अनुसार ही है तथा इसे इंगलैंड में धन भेजने की आकांक्षा से प्रतियोगिता करने के लिये नहीं बढ़ाया गया है।

(ग) भारत से कोई पूंजी बाहर नहीं गई है।

(घ) हां, श्रीमान्।

विस्थापित व्यक्तियों को दी गई रियायतें

*१०११. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **गृहकार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के देने के सम्बन्ध में क्या क्या रियायतें दी गई हैं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है जिसमें इन रियायतों का वर्णन किया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ३**].

आस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थी

* १०१२. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आस्ट्रेलिया में कितने भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि आस्ट्रेलिया की सरकार ने आस्ट्रेलिया की इंजीनियरिंग संस्थाओं में भारतीय विद्यार्थियों के दाखले पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्री (मौलाना आजाद) : (क) ३४ सरकारी छात्र-वृत्ति पाने वाले विद्यार्थी। निजी रूप से गए विद्यार्थियों की संख्या का पता नहीं है।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी प्रतिबन्ध का पता नहीं है। वास्तव में सरकार ने चार विद्यार्थियों को इंजीनियरी ही पढ़ने के लिए भेजा है तथा वे आस्ट्रेलिया में अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है।

डब्बों में बन्द वस्तुएं

* १०१३. **प्रो० डी० सी० शाह :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रयोग के लिये दिये गए डब्बों में बन्द दूध, मक्खन तथा पनीर की कुल कितनी कीमत है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : पिछले तीन वर्षों की औसत के आधार पर बाहर से आयात किए गए डब्बों में बन्द दूध की वार्षिक कीमत ५७,००,००० रु० है। जहां तक डब्बों में बन्द पनीर का सम्बन्ध है हमारी मांग देश की फर्मों के पास जमा विदेशी माल से ही पूरी हो जाती रही है। पनीर की वार्षिक खपत का मूल्य ६२,००० रूपये है। जहां तक डब्बों में बन्द मक्खन का सम्बन्ध है हमारी आवश्यकता देश के अपने साधनों से ही पूरी हो जाती रही है।

ओसमानिया विश्वविद्यालय (हस्ताण्तरण)

*१०१४. **श्री हेडा : श्री पी० रामास्वामी :**

(क) क्या राज्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद की धारा सभा में एक सरकारी सदस्य के इस संकल्प पर बहस की गई थी कि भारत सरकार पर ओस्मानिया विश्वविद्यालय को केन्द्र के पास हस्तान्तरित करने के अभिप्राय से प्रश्न के वित्तीय तथा शिक्षा सम्बन्धी पहलुओं की जांच करने के लिए जोर डाला जाय ?

(ख) क्या उक्त धारा सभा के मत को केन्द्र के पास भेजा गया था तथा यदि हां, तो भारत सरकार के इस बारे में क्या विचार हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार इस बारे में एक समिति के नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

गृहकार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि इस विश्वविद्यालय के पुनर्संगठन के अभिप्राय के लिए शिक्षा तथा इस से संगत प्रश्नों की जांच करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति कायम की जाय। शिक्षा विशेषज्ञों की समिति के बिठाने के सम्बन्ध में पारित किए गए संकल्प की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४८].

औद्योगिक वित्त-निगम

* १०१५. **श्री मुरारका** : क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त-निगम द्वारा विभिन्न कम्पनियों (नामों सहित) को अभी तक दिए गये कर्जों की राशि कितनी है ;

(ख) यदि कोई ऐसी कम्पनी है जो कर्जों पर लिए गए धन पर ब्याज नहीं दे सकी तो उस का नाम ;

(ग) आपस में तय पाए प्रबन्धों के अनुसार किस्तें न दे सकने वाली कम्पनियों के नाम ; तथा

(घ) उक्त असमर्थता के कारण भारत सरकार द्वारा सम्हाली गई कम्पनियों के नाम ?

राजस्व तथा व्यय मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) तक. इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रधान मन्त्री के २७ नवम्बर तथा २ दिसम्बर १९५२ को सदन में दिए गए वक्तव्यों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें व्यक्तिगत रूप से ऋणियों के नाम का वर्णन किया गया था । ३१ अक्तूबर, १९५२ तक १०३ प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में १५,२२,७०,००० रुपये के कर्जे दिए गए थे जिस में से ७,९५,७२,४०५ रु० की राशि ६६ प्रार्थियों को तक्सीम की गई थी । उस तिथि तक ५ व्यवसाय ब्याज तथा किस्त नहीं दे सके थे; ५ व्यवसाय केवल ब्याज देने में असमर्थ रहे तथा ३ केवल किस्तों को नहीं दे सके ।

(घ) औद्योगिक वित्त-निगम अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को एसी किसी कम्पनी के अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है ।

मंत्रणा परिषद

* १०१६. **श्री हेम राज** : क्या गृहकार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनूसूचित आदिम जातियों की भलाई के लिए बनाई गई मन्त्रणा परिषदों के कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या पंजाब राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए कोई अनुदान दिया गया है ; तथा

(ग) इस अनुदान का किस प्रकार से तथा किस की देख रेख में व्यय किया जायगा।

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा ४(२) की ओर दिलाना चाहता हूं ।

(ख) अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत चालू वर्ष में ४.७३ लाख रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है ।

(ग) इस धन को राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं पर खर्च करेगी ।

दिल्ली विश्व विद्यालय के वाइस-चांसलर का त्यागपत्र

*१०१७. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान वाइस-चांसलर डा० एस० एन० सेन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है ; तथा

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है तो उन्हें ऐसा किन परिस्थितियों से करना पड़ा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : डा० एस० एन० सेन ने अपने पद से व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया है ।

पश्चिमी बंगाल को अनुपात

* १०१८. **श्री एन० बी० चौधरी** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिमी बंगाल को कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए कोई अनुदान दिया है ?

(ख) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अधिक धन देने का विचार कर रही है ?

(ग) यदि हां तो इसकी कितनी राशि है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में १,३५,००० रु० के अनुदान दिए हैं ।

(ख) तथा (ग) : कलकत्ता विश्वविद्यालय को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तथा कुछ विनश्चित वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल शिक्षा सम्बन्धी योजना के पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

आयकर विभाग के अधिकारियों की ट्रेनिंग

१०१९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आयकर विभाग से उन अधिकारियों को, जो खनिज उत्पादकों तथा खनिज व्यापारियों की लेखाओं की जांच पड़ताल करने में लगे हैं, कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : खनिज उत्पादकों तथा खनिज व्यापारियों की लेखाओं की जांच पड़ताल करने वाले आय कर के विभाग के अधिकारियों को कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जाती ह । फिर भी कई प्रकार के व्यवसायों तथा धंधों आदि के लेखों की जांच पड़ताल, जिस में खनिज उत्पादक तथा खनिज व्यापारी भी सम्मिलित हैं, उस प्रशिक्षण योजना का भाग है जो परीक्षा-अधीन आयकर अधिकारियों के लिये निश्चित की गई है । सिद्धान्त की ट्रेनिंग के अतिरिक्त, परीक्षा-अधीन अधिकारियों को विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों तथा विभिन्न खनिज और अन्य उत्पादन की वस्तुओं के उत्पादन केन्द्रों में जा कर अध्ययन कराया जाता है ।

आय कर

४१०. **श्री दाभी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में प्रत्येक राज्य में क्रमशः कितने व्यक्तियों पर आय कर लगाया गया है ;

(ख) उसी वर्ष में प्रत्येक राज्य में आय-कर के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ह या कितनी राशि के वसूल किये जाने का अनुमान है;

(ग) उसी वर्ष के प्रत्येक राज्य में क्रमशः कितने व्यक्तियों को अधि-कर देना पड़ा था; तथा

(घ) उसी वर्ष में प्रत्येक राज्य से अधि-कर के रूप में क्रमशः कितनी राशि वसूल की गई या कितनी राशि के वसूल किये जाने का अनुमान लगाया गया ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (घ) तक. अपेक्षित जानकारी से सम्बन्धित एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सख्या** ५].

इस विवरण के भाग (ख) के नीचे दिऐ गए आंकड़ों में अतिरिक्त लाभ कर तथा बी० पी० टी०, जो कर संविधान के अनुच्छेद २७० के प्रयोजनों से लगाए जाते हैं, शामिल हैं ।

विस्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

४११. श्री एच० एन० मुकर्जीः क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३४३ के भाग (ख) तथा भाग (ग) का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त उत्तर में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जिन फर्वरी, १९५० के आदेशों का वर्णन किया गया था, उन से यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि इन आदेशों से प्रभावित होने वाले अधिकारियों के वेतन पुनर्निःनिश्चत किए जायेंगे जिन्हें केन्द्रीय असैनिक सेवा (वेतनों पुनरावर्तन) नियम १९४७ के अन्तर्गत लागू किया जायेगा । उन आदेशों में यह भी व्यवस्था की गई थी कि, यदि आवश्यक हो तो इन नियमों से प्रभावित अधिकारियों को काम पर लगाने के लिए स्वीकृत संख्या से अधिक नौकरियां निकाली जायेंगी ।

मनीपुर राज्य यातायात

४१३. श्री आई० जे० सिंह : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) अभी तक मनीपुर राज्य यातायात सेवा में कितनी पूंजी को लगाया गया हैं ;

(ख) क्या यह एक लाभप्रद व्यवसाय है या नहीं ;

(ग) उस व्यवसाय का लाभ तथा हानि सन्तुलनपत्र क्या है ;

(घ) अभी तक खरीदे गये ट्रकों तथा बसों की संख्या कितनी है ;

(ङ) इन ट्रकों तथा बसों के खरीदने की प्रणाली क्या है तथा इन के उपलब्ध करने वाली फर्मं या फर्मों को कैसे चुना जाता है— क्या माल देने का विचार करने वाली सार्थों से टेन्डर मंगाए जाते हैं या कोई और प्रबन्ध किए जाते हैं; तथा

(च) इन वस्तुओं की देने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (च) तक . सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे उचित समय पर सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय कला भवन

४१४. सरदार हुक्म सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ में कोई प्राचीन तथा वर्तमान काल में कलाकृतया खरीदी गई थीं तथा राष्ट्रीय अजायबघर या राष्ट्रीय कलाभवन में सुरक्षित रखी गई थीं, यदि हां तो वे क्या क्या थीं ?

(ख) इस प्रयोजन से १९५१ तथा १९५२ में क्रमशः कितनी राशि का व्यय किया गया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) एक

विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]

(ख) वर्ष १९५१ में १,८९,३२० रु० तथा वर्ष १९५२ में ६०,३१३ रु० का व्यय किया गया था ।

आय कर का निर्धारण

४१५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९३९, १९४७, १९४९ तथा १९५१ में आयकर निर्धारण के कितने मामले विद्यमान थे ;

(ख) आय कर विभाग के निर्धारण सैक्शन में विभिन्न वेतन-श्रेणियों वाले कितने कर्मचारियों को रखा गया है ; तथा

(ग) १९३९, १९४७, १९४९ तथा १९५१ में कर से बचने के कितने मामले हुए थे ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) पत्रीवर्ष के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन्हें वित्तीय वर्ष के अनुसार रखा जाता है । वर्ष १९४७-४८, १९४९-५० तथा १९५१-५२ के अन्त में लिए गए आंकड़े जिन में पिछले वर्षों के आंकड़े मिलाए गये हैं, क्रमशः ३,५७,५७५, ३,९१,७९४ तथा ४,२४,७८६ हैं ।

वर्ष १९३९-४० के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में आयकर विभाग के कर निर्धारण सैक्शन में काम करने वाले कर्मचारियो का वृत्तान्त इस प्रकार से है ।

आय-कर अधिकारी	८८०
अनुभूचिवीय लगभग	४.२००

(ग) पत्री वर्ष के अनुसार सूचना उपलब्ध नही है क्योंकि इन्हें वित्तीय वर्ष के अनुसार रखा जाता है । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष १९४९-५० में कर से बचने के ४.३५४ मामले हुए थे तथा वर्ष १९५१-५२ में इन मामलों की संख्या ४५७२ थी । इस से पहले के वर्षों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है इसके अतिरिक्त सितम्बर १९५२ तक स्वेच्छा से २०,४७५ मामले प्रगट किए गए थे ।

मशीनों के प्रारम्भिक नमूनों के औजार बनाने का कारखाना

४१६. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीनों के प्रारम्भिक नमूनों के औज़ार बनाने के प्रस्तावित कारखाने की स्थापना किस स्थान पर की जायेगी ;

(ख) इस के पूरा होने की कब तक आशा की जाती है ;

(ग) इस कारखाने के साथ खोले गये कारीगर प्रशिक्षण विद्यालय से कितने विद्यार्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं;

(घ) इस संस्था में प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थी लिये जायेंगे ; तथा

(ङ) क्या सफल विद्यार्थियों को कारखाने में ही काम पर लगा लिया जायेगा या कहीं और ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) अम्बरनाथ जो बम्बई के समीप है ।

(ख) वर्ष १९५२ के अन्त तक ।

(ग) अभी तक कोई नहीं, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को केवल १९५० में ही आरम्भ किया गया था तथा सैद्धान्तिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण को मिला कर ५ वर्षों में पूरा किया जाता है । पूर्णतः प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रथम गुट १९५५ में उपलब्ध हो सकेगा ।

(घ) अधिक से अधिक १०० तथा पहले दो वर्षों में भर्ती १०० से कुछ कम रही है ।

(ङ) इस पाठ्यक्रम से पहले दो मशीनों के प्रारम्भिक नमूनों के औज़ारों के बनाने के कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा किय

जायगा। तथा बाद में आर्डनेंस फ़ैक्टरियों की आवश्यकताओं को। पहले के पाठ्यक्रमों में सफल व्यक्तियों की एक अधिक संख्या को स्वयं मशीनों के प्रारम्भिक नमूनों के औज़ारों के बनाने के कारखाने में ही ले लिया जायगा। दूसरों को आर्डनेंस फ़ैक्टरियों में लिया जायगा जिन्हें काफी प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है।

भुगतान संतुलन

४१७. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि व्यापार तथा भारत के दूसरे दायित्वों के सम्बन्ध में गत पांच वर्षों में भारत की भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति क्या है ? निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वृत्तान्त दिया जाय :

(१) ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के देशों जैसे केनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड तथा दक्षिण अफ़्रीका और ब्रिटेन के साथ;

(२) अमेरिका के साथ ;

(३) उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका के दूसरे देशों के साथ ;

(४) निकट पूर्व अर्थात् तुर्की, ईरान, मिस्र तथा अरेबिया के देशों के साथ;

५) बैल्जियम, जर्मनी, हालैण्ड, इटिली तथा स्पेन के साथ ;

६) रूस के साथ ; तथा

७) एशिया अर्थात् बर्मा, चीन, इंडोनेशिया तथा जापान के साथ ?

(ख) क्या सरकार ने ऊपर की सूची में बतलाए गये देशों के साथ, जिन के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धी (या अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के सम्बन्ध में) भुगतान-सन्तुलन की स्थिति हमारे पक्ष में है, राजकोषीय या वित्तीय नियमों, सन्धियों द्वारा या अन्य उपायों से व्यापार को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किये हैं ?

(ग) पिछले पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष के सम्बन्ध में बुलियन (सोना तथा चांदी) का आयात या निर्यात (यथास्थिति) क्या था या इन देशों से किसी देश से भुगतान-सन्तुलन का फ़ैसला करने के अभिप्राय से लिये गये या दिये गये ऋण की स्थिति क्या थी ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) (१) (२) (३) (४) (५) (६)। एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है जिस में पत्री वर्ष १९४८ से ले कर आंकड़े दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ख) ब्रिटेन के सिवाय जिस के साथ भारत के भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति निरन्तर भारत के अनुकूल रही है, भाग (क) में वर्णित देशों के साथ भारत की भुगतान-सन्तुलन स्थिति पिछले वर्षों में अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार की रही है। अपने व्यापार को उन्नत करने के लिए बहुत से देशों के बारे में, बिना इस विचार के कि यह स्थिति प्रतिकूल है या अनुकूल, ये उपाय किये गए हैं :

(१) व्यापारिक समझौतों या प्रबन्धों का तय करना,

(२) प्रदर्शिनियों तथा मेलों के संगठित करने से भारतीय वस्तुओं का प्रचार,

(३) विदेशों में भारतीय राजदूतों के कार्यालय के हातों में प्रदर्शनालयों द्वारा प्रचार,

(४) भारतीय व्यापारियों को विदेशों के ऐसे आयात-कर्ताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क प्राप्त करने के अभिप्राय से जो भारत में बनाई गई या उत्पा-

दित वस्तुओं जैसी वस्तुओं का आयात करते हैं, विदेश-यात्रा के लिए प्रेरणा देना ।

(५) विभिन्न देशों में भारत सरकार के व्यापारिक प्रतिनिधियों की सहायता से व्यक्तिगत सम्पर्क प्राप्त कर के भारतीय वस्तुओं के लिये रुचि पैदा करना ।

(ग) सोने चांदी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर के विपरीत भुगतान-सन्तुलन के किसी भाग की अदायगी का फ़ैसला नहीं किया गया है ।

यह भी कह दिया जाय कि भारत के डालर-मुद्रा वाले क्षेत्र से अपने भुगतान-सन्तुलन के समायोजन के लिए जनवरी १९४८ से नवम्बर, १९५२ तक के समय में अपने संचित पौंड-पावना शेष में से ८१६ करोड़ रु० के व्यय के अतिरिक्त पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक. अमेरिका के निर्यात-आयात बक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से डालर-क्रय के रूप में लगभग ३४८० लाख डालर का व्यय किया है । भारत की स्वर्ण तथा डालर सम्बन्धी लाभ पौंड-मुद्रा-क्षेत्र की स्वर्ण तथा डालर निधि का ही भाग है तथा उस के स्वर्ण तथा डालर के घाटे को इसी रक्षित निधि में से पूरा किया जाता है । जनवरी, १९४८ से जून, १९५२ तक के समय में भारत ने केन्द्रीय रक्षित निधि से लगभग पूरे ३,००० लाख डालर का लाभ उठाया है ।

पेंशन संहिता

४१८. श्री ए० एन० विद्यालंकार : (क) क्या **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने हाल में सेना के कर्मचारियों के वेतन में पुनर्विचार के बाद परिवर्तन किए हैं, परन्तु पैन्शन संहिता में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया तथा अभी तक पुरानी पैन्शन संहिता ही लागू है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक श्रेणी २ के बहुत से अधिकारियों को स्थायी नहीं किया गया है तथा उन्हें अभी तक अस्थायी पद पर ही रखा जा रहा है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इन दो बातों के बारे में बहुत असन्तोष फैला हुआ है तथा अधिकारियों द्वारा दिये गये बहुत से आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है ?

(घ) क्या सरकार पैन्शन संहिता के पुनरावर्तन का विचार कर रही है तथा क्या श्रेणी २ के बहुत से अधिकारियों को उन के वर्तमान पदों पर पक्का करने का विचार किया गया है तथा यदि किया गया है तो ऐसा करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । सरकार ऐसा समझने के लये कोई कारणें नहीं देखती तथा न ही उसे कन्हीं दिए गए ऐसे आश्वासनों का पता है जन्हें पूरा नहीं कया गया है ।

(घ) इस सम्बन्ध में ध्यान ७ जुलाई को तारांकित प्रश्न संख्या १२१७ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है । जैसा कि पहले उस समय कहा जा चुका है, सरकार सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के पैन्शन सम्बन्धी नियमों पर विचार करने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है । यह नियम बहुत से हैं तथा काफी पेचीदा हैं तथा उन में परिवर्तन करने का अर्थ यह होगा कि उनका बहुत कुछ वित्तीय प्रभाव पड़ेगा । समिति की सिफारिशों को विस्तार पूर्वक जांच का करना तथा वर्तमान पैन्शन संहिता के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध

में अन्तिम फ़ैसलों का करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। यद्यपि समिति की सारी सिपारिशों के सम्बन्ध में फ़ैसलों के करने में काफी समय लग जायगा, यह आशा की जाती है कि अधिक महत्वपूर्ण सिपारिशों के सम्बन्ध में फ़ैसले शीघ्र ही किए जायेंगे।

यह बात स्पष्ट नहीं है कि पैन्शन संहिता से श्रेणी २ के कर्मचारियों के स्थायी करने के प्रश्न का क्या सम्बन्ध है। सदस्यों की सूचना के लिए यह बता दिया जाय कि श्रेणी २ के उन कर्मचारियों को पक्का किया जायगा जिन्हें इस के लिए योग्य समझा जायगा। ऐसा इस सीमा तक किया जायगा कि उस श्रेणी में कितनी पक्की नौकरियां हैं।

अंधेपन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद

४१९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धेपन सम्बन्धी प्रस्तावित परिषद् की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो कब तक;

(ग) क्या सरकार के पास भारत के अन्धों की संख्या के कोई आंकड़े हैं ;

(घ) भारत में अन्धेपन को रोकने के लिये कितनी असरकारी संस्थायें काम कर रही हैं ; तथा

(ङ) क्या इन संस्थाओं को सरकार से कोई सहायता या सुविधायें मिल रही हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) आज की तिथि तक के कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनसार तीस।

(ङ) ठीक ठीक सूचना तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु ऐसा समझा गया है कि मामलों की अधिक संख्या के बारे में राज्य सरकारें आवश्यक ही कुछ सहायता देती हैं।

शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को दिए गए उपहार

४२०. **डा० रामा राव :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत की कितनी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को विदेशों से उपहार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण रखेगी जिस में दानियों के नामों, प्राप्त उपहारों के मूल्य तथा उनके पाने वालों के नामों का उल्लेख हो, विशेष कर 'यूनेस्को' से प्राप्त उपहारों के सम्बन्ध में ;

(ग) क्या उन उपहारों को सम्बन्धित संस्थाओं के लिए पृथक रूप से रक्षित कर दिया गया था या कि उन्हें भारत सरकार को अपने विवेकानुसार देने के लिए भेजा गया था ;

(घ) यदि इन्हें सम्बन्धित संस्थाओं को ही भेजा गया था तो भारत सरकार ने इन्हें क्यों स्वीकार किया ; तथा

(ङ) यदि ये भारत सरकार को भेजे गये थे तो क्या कारण थे कि भारत सरकार ने इन्हें उन विशेष संस्थाओं को ही दिया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्री (मौलाना आजाद): (क) से (ङ) तक. एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ८**]

मानव का वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

४२१. **श्री तेलकीकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनेस्को' द्वारा अपने जिम्मे लिए गए "मानव के वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक इतिहास" के कार्य को आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो ग्रन्थों के लिए आवश्यक सामग्री के एकत्र करने वाले निकाय में किन किन व्यक्तियों को लिया गया है ;

(ग) इस काम में कहां तक प्रगति की गई है ; तथा

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) सम्पादकीय समिति इस प्रकार से बनाई गई है :

(१) डा० रल्फ टर्नर (अमेरिका)
(२) प्रो० आर०सी०मौजुमदार (भारत)
(३) प्रो० चार्लस मोरेज़ (फ़्रांस)
(४) श्री साइल्वियो जवाला (मैक्सीको)
(५) प्रो० कान्स्टेन्टाइन जूरायक (सीरिया) ।

(ग) पूर्व इतिहासिक समय, प्राचीन समय तथा चीन, भारत तथा लैटिन अमेरिका से सम्बन्धित इतिहास के मार्च, १९५३ में एक त्रिभासिक पत्रिका में प्रकाशित किए जाने की आशा की जाती है ।

(घ) जनवरी १९५० में ।

नौपरिवहन विद्यालय

४२२. **श्री तेलकीकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नौपरिवहन प्रशिक्षण देने वाले नौपरिवहन विद्यालयों की कितनी संख्या है ; तथा

(ख) उन के सम्बन्ध में अपेक्षित विभिन्न पाठ्यक्रम तथा योग्यताएं क्या क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भारतीय नौ-सेना के लिए केवल एक ही नौपरिवहन प्रशिक्षण का विद्यालय है तथा यह कोचीन में है और नौ-सेना प्रशिक्षण विद्यालयों का एक भाग है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस समय नौपरिवहन विद्यालय में ये पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं । अपेक्षित योग्यताओं का प्रत्येक के सामने वर्णन किया गया है ।

पाठ्यक्रम	अपेक्षित योग्यताएं
१ राडर प्लाटर तीसरी श्रेणी	(१) सामान्य योग्य नाविक जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहें । (२) कमान अधिकारियों द्वारा योग्य होने की सिफ़ारिश । (नौ सैनिकों को उपलब्ध होने तथा इस सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार इस पाठ्यक्रम के लिये भेजा जाता है) ।
(२) अप्पर यार्डमैन पाठ्यक्रम	यह पाठ्यक्रम अप्पर नौपरिवहन यार्डमैन के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण का भाग है ।
(पदोन्नति पर कार्य-वाहक सब लैफ्टीनेंट)	
(३) वरिष्ठ (सीनियर) अधिकारियों का पाठ्यक्रम ।	इस पाठ्यक्रम के लिये स्मरण कराने का अपने-अपने कमान अधिकारियों की सिपारिश के अनुसार भेजा जाता है ।

(४) कनिष्ट (जूनियर) अधिकारियों को इन अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम के लिए अपने स्मरण कराने का पाठ्यक्रम।	कमान अधिकारियों की सिपारिश के अनुसार भजा जाता है ।
(५) फलीट रिजर्विस्ट्स (बेड़े के रक्षित कर्मचारी)	किन्हीं विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है । प्रशिक्षणें। राडर प्लाटर शाखा के रक्षित कर्मचारी इस पाठ्यक्रम में भी अपने सारे प्रशिक्षणे के भाग रूप में शिक्षा लेते हैं ।
(६) शाखा सूची के उम्मीदवारों के लिये नौपरिवहन पाठयक्रम ।	किन्हीं विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। ब्रांच रैंक में भर्ती किये गये नौसैनिकों को यह पाठ्यक्रम उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले टैकनीकल प्रशिक्षण के भाग के रूप में पूरा करना पड़ता है।

चीनी की फैक्टरियां में लगाई गई विदेशी पूजी

४२३. **श्री बी० एन० राय :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत की चीनी की फ़ैक्टरियों में जनता द्वारा स्वीकृत कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : चीनी की फ़ैक्टरियों में लगाई गई जनता द्वारा स्वीकृत विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सरकार को इस समय कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, परन्तु ३० जून, १९४८ के दिन भारतीय जाइन्ट स्टाक कम्पनियों की चीनी उद्योग सम्बन्धी विदेशी पूंजी ५९·४ लाख रुपये थी ।

इम्पीरियल बैंक आफ़ इन्डिया

४२४. **श्री एच० जी० वैश्णव :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इम्पीरियल बैंक आफ़ इन्डिया ने आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले पहले हैदराबाद राज्य के कई एक स्थानों पर अपनी शाखाओं के खोलने का फ़ैसला किया है तथा यदि ऐसा है तो कितनी शाखाओं के खोलने का तथा किस किस स्थान पर ?

(ख) क्या वे सरकारी कोष की एजेन्सियों के रूप में काम करेंगी तथा यदि ऐसा है तो हैदराबाद के सरकारी बैंक की स्थिति क्या होगी ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

४२५. **श्री काचिरोयर :** क्या शिक्षा मंत्री वर्ष १९५२-५३ में मद्रास राज्य के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : १९५२-५३ के वर्ष में मद्रास राज्य के पिछड़े वर्गों के, जिस में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिमजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं, विद्यार्थियों को ७४१ छात्रवृत्तियां दी गई हैं । ३२७ और छात्रवृत्तियों के शीघ्र ही दिये जाने की सम्भावना है ।

मोटर-स्पिरिट में स्वावलम्बता

४२६ **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि मोटर-स्पिरिट में स्वावलम्बता प्राप्त करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(ख) क्या सरकार के सामने कोयले से मोटर-स्पिरिट के बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त घटिया प्रकार के कोयले के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कराया है ?

(घ) यह पर्यवेक्षण कितना समय पहले किया गया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) मोटर स्पिरिट के सम्बन्ध में स्वावलस्बता प्राप्त करने के लिये सरकार ने निम्न उपाय किये है :—

(१) देश में तेल के नए स्रोतों की खोज के लिये भौमिकीय तथा भू-भौमिकीय पर्यालोकन ।

(२) आयात किये गये अशुद्ध पैट्रोल के प्रयोग से पैट्रोलियम के साफ़ करने के उद्योग का विकास ।

(३) पावर अल्कोहल के उत्पादन का बढ़ाना ।

(४) मिले जुले अल्कोहल-पैट्रोल का साफ़ पैट्रोल के स्थान पर प्रयोग ।

(ख) कोयले से संशालिष्ट तेल के तैयार करने के सम्बन्ध में इन्धन अनुसन्धान-शाला, धनबाद में प्रयोग किये गये हैं। व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन करने से पहले छोटे स्तर पर किये गये प्रयोगों को बड़े स्तर पर किया जायगा ।

(ग) तथा (घ). बिहार तथा बंगाल के घटिया प्रकार के कोयले के बारे में भारतीय भौमिकीय पर्यालोकन की एक पर्यालोकन समिति ने १९४८ में जांच पड़ताल की थी ।

मध्य भारत तथा राजस्थान के भौमिकीय पर्यालोकन

४२७. **श्री एन० एल० जोशी** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंसधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य भारत तथा राजस्थान का भौमिकीय पर्यालोकन किया गया था तथा यदि ऐसा है तो कब और किन परिणामों के साथ ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होन पर उसे सदन पटल पर रखा जायगा ।

पैन्शन पाने वाले

४२८. **श्री एन० एल० जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या जिन्हें :—

(१) आज से पांच वर्ष से भी अधिक पहले,

(२) पांच वर्ष पहले,

(३) चार वर्ष पहले,

(४) तीन वर्ष पहले,

(५) दो वर्ष पहले,

(६) एक वर्ष पहले,

सेवा से निवृत्त हुए बीत चुके हैं, परन्तु जिन्हें पैन्शन के आदेश नहीं मिले हैं; तथा

(ख) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): (क) मुझे खेद है कि इस सूचना के एकत्र करने में सम्भव लाभ की तुलना पर बहुत अधिक समय तथा श्रम करना पड़ेगा क्योंकि इसे समस्त भारत में बिखरे कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के निर्देश से ही एकत्र कया जा सकेगा ।

(ख) नियमों में ऐसी प्रक्रिया पहले ही निश्चित की जा चुकी है कि यदि उनके अनुसार उचित रीति से कार्य किया जाय तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवा-निवृत्त होते ही पैन्शन का मिल जाना निश्चित है। हाल में जो विलम्ब के मामले हुए हैं, उनके कई एक कारण हैं— उदाहरणार्थ पाकिस्तान या भूतपूर्व देशी रियास्तों में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सेवापत्रों का न मिलना या प्रशासक अधिकारियों द्वारा पैन्शन के कागजों का परीक्षा के लिये समय पर न भेज सकना। पैन्शन के मामलों का शीघ्रता से फैसला करने की आवश्यकता तथा महत्व पर जोर देते हुए समय समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। नए अनुदेशों के जारी करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक ने अपने अधीन कार्य कर रहे कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को प्राप्त मामलों के शीघ्रता से निपटाने के आदेश जारी किये हैं। अन्तिम रूप से जिन के सम्बन्ध में अन्तिम फ़ैसला करने में अनिवार्व लम्ब की आशंका हो, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को कठोरता पेश न आने देने के लिये प्रत्याशित पैन्शन की मंजूरी दी जाती है।

त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्तर

४२९. **श्री दशरथ देव :** (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि क्या त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्तर को फिर से निश्चित करने का काम पिछले सत्र में दिये गये आश्वासन के अनुसार पूरा नहीं हुआ है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस योजना के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ेगी ?

(ग) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा के तालुक चौकीदार को अब भी ८ रुपये प्रति मास का मूल वेतन मिलता है ?

(घ) क्या सरकार त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को किसी हानिपूरक अनुदान के देने का विचार कर रही है तथा यदि ऐसा है तो इसे कब दिया जायगा तथा इस व्यय की पूर्त्ति कब होगी ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) स्पष्ट है कि माननीय सदस्य १४ जुलाई १९५२ को लोक सभा में श्री बरिन दत्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न ३९९ की ओर निर्देश कर रहे हैं। उसमें वर्णन किये गये दस विभागों के पुर्नगठन के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है तथा अन्तिम आदेशों के जारी करने की शीघ्र ही आशा की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) त्रिपुरा सरकार के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को हानिपूरक अनुदान देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

उडीसा को दिये गये ऋण

४३०. **श्री संगण्णा :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को दिये गये ऋणों की राशि कितनी है ;

(ख) उन ऋणों पर प्राप्त व्याज की ल राशि कितनी है ;

(ग) क्या ऋणों की तथा व्याज की अदायगी के रूप में किन्हीं किस्तों का भुगतान किया गया है ;

(घ) क्या किन्हीं किस्तों के भुगतान के करने में कभी कोताही की गई थी; तथा

(ङ) ऋणों तथा उन पर ब्याज के सम्बन्ध में अभी देय बक़ाया कितना है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) (क) से (ग) तथा (ङ) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ९]

(घ) नहीं, श्रीमान।

अंक ६ सोमवार,
संख्या ४ ८ दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते
1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

स्थगन प्रस्ताव—
बांधबनगर बस्ती के शरणार्थियों को बेदखली की सूचनाएं [पृष्ठ भाग १४२६—१४२९]
श्री श्रीरामुलु की चिन्ताजनक दशा [पृष्ठ भाग १४२९—१४३१]
सदन पटल पर रखा गया पत्र—
प्रथम पंच वर्षीय योजना [पृष्ठ भाग १४३२—१४३५]
समितियों के लिए निर्वाचन—
लोक लेखा समिति [पृष्ट भाग १४३५]
केन्द्रीय रेशम पर्षद् [पृष्ठ भाग १४३५—१४३६]
भारतीय क्षयरोग संस्था की केन्द्रीय समिति [पृष्ठ भाग १४३६]
राष्ट्रीय छात्र सेना की केन्द्रीय परामर्श समिति [पृष्ठ भाग १४३६]
वर्ष १९५२-५३ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें — स्थगित [पृष्ठ भाग १४३७—१४४०]
लोहा तथा इस्पात समवाय एकीकरण विधेयक —विचार प्रस्ताव स्वीकृत [पृष्ठ भाग १४४०—१४७४)

(मूल्य ६ आने)

सोमवार ८ दिसम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिएभाग १)

११-५३ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :(क्विलोन व मावेलिक्करा) खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । क्या माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायेंगे ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान् मैं जानकारी चाहता हूं । एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जल्दी न करें । मैं अब स्थगन प्रस्ताव ही लेता हूं ।

श्री निम्बयार (मयूरम) : परन्तु इसी विषय पर एक प्रस्ताव दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह परसों नियम-बाह्य घोषित हो चुका था ।

श्री नम्बियार : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अवश्य हुआ था । माननीय सदस्यों को चाहिए कि सदन की कार्यवाही की ओर वे ध्यान दें अथवा मुद्रित वाद-विवाद पढ़ें । परसों मैं ने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी और उस अल्प सूचना प्रश्न को नियमानुकूल ठहराया जिस की चर्चा अभी समाप्त हुई है । उस प्रश्न का आवश्यकता से अधिक विस्तृत उत्तर दिया गया है ।

बांधबनगर बस्ती के शरणार्थियों को बेदखली की सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है । उसे आज तक लम्बित रखा गया था । क्या सरकार कोई वक्तव्य देना चाहती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) मैं ने बांधबनगर बस्ती के बारे में पूछ ताछ की है । यह बस्ती डमडम के निकट बसी है । सन् १९५० के मध्य में कुछ लोग इस भूमि पर बिना अधिकार के बैठ गए । यहां विस्थापित व्यक्तियों के ५०० परिवार हैं । जो क्षेत्र अधिगृहित होने जा रहा है, उस में २०० या ३०० परिवार बसे हैं । रक्षा मंत्रालय को यह

[श्री ए०पी०जैन]

क्षेत्र वायरलेस ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए चाहिए। कुछ समय के पहले स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार सम्बन्धित लोगों से पूछा गया था कि उक्त स्थान का अधिग्रहण क्यों न किया जाए। शरणार्थियों द्वारा जो कारण बताए गए उन्हें अस्वीकार किया गया। बस्ती के सचिव द्वारा कोई विरोधपत्र दाखल नहीं हुआ। दिनांक १५ नवम्बर को २४ परगना के जिलाधिकारी ने, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, आज्ञा दी कि १५ दिसम्बर तक उक्त भूमि का कब्जा दिया दिया जाना चाहिए। जिलाधिकारी द्वारा कुछ समय पहले उन सब आपत्तियों को जो कानूनी तौर पर उठाई गई थीं अस्वीकार किया गया है। किंतु दिनांक ६ दिसम्बर, १९५३, को उक्त बस्ती के रहने वालों ने एक याचिका दाखिल की जिस में कहा गया था कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारी से अपील की है और उस का फैसला होने तक कार्यवाही रोकने की प्रार्थना की गई थी। जिलाधिकारी ने कार्यवाही रोकने की कोई आज्ञा नहीं दी है। किसी अवस्था में, १५ दिसम्बर तक कोई बेदखली नहीं होगी। सम्बन्धित अधिनियम के खण्ड १० के अनुसार केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही रोकने का अधिकार है। खंड १० का उपखंड (३) कहता है :

> केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा का प्रवर्तन उन अवस्थाओं में तथा उस काल तक रोक सकती है जो वह उचित समझे।

यह अपील अभी रक्षा मंत्रालय के सम्मुख लम्बित है। स्थगन की आज्ञा देने से तथा अन्तिम निर्णय करने से पहले रक्षा मंत्रालय सब तथ्यों का विचार करेगा। मैं ने पूछताछ की है और उससे पता चला है कि प्रस्तुत क्षेत्र रक्षा मंत्रालय के एक अन्य क्षेत्र के समीप होने के कारण वह मंत्रालय इस क्षेत्र को अधिग्रहित करना चाहता है। इन दोनों क्षेत्रों को मिला कर उन पर वायरलेस ट्रांसमीटर स्थापित किया जाएगा।

बान्धबनगर बस्ती पश्चिमी बंगाल की उन ६६ बस्तियों में से है जहां शरणार्थी बिना अधिकार के बैठ गए और जिनको नियमित रूप देने का निर्णय किया गया है। यदि रक्षा मंत्रालय अधिग्रहण का अन्तिम निर्णय कर लेता है तो फिर मेरा मंत्रालय, निश्चित नीति के अनुसार, इन लोगों को बसने के लिए अन्य भूमि देगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट): रक्षा मंत्रालय के लिए तो उस पार भी विपुल भूमि है। इस विशिष्ट क्षेत्र में शरणार्थियों ने अत्यधिक श्रम से इस भूमि को सुधारा है। इन सब बातों का ख्याल कर के रक्षा मंत्रालय को बेदखली रोक देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों पक्षों का कहना सुन लिया है। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए, स्थगन प्रस्ताव अनावश्यक प्रतीत होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : समय बहुत थोड़ा रहा है; इसलिए मैं रक्षा मंत्रालय से आश्वासन चाहती हूं कि बेदखली रोकने के लिए सब कुछ किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद् केवल नीति निर्धारित करती है; हिदायतें नहीं देती। यह आश्वासन दिया गया है कि शरणार्थियों

को मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या पुनर्वास मंत्रालय आश्वासन देगा कि वह रक्षा मंत्रालय से अन्य क्षेत्र चुनने की प्रार्थना करेगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : पुनर्वास मंत्रालय सब शरणार्थियों का रक्षक है। वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा।

श्रीमती सुचेता कृपलानी :(नई दिल्ली): क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊं कि बेदखली की सूचना अनधिकृत व्यक्ति को दी गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों की चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : इस सूचना का कानूनी पहलू भी तो है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब यह स्थगन प्रस्ताव पहले उपस्थित हुआ था तब इन सारी बातों का उल्लेख हुआ था। इन लोगों के बसने के लिए कोई न कोई स्थान देने की पूरी कोशिश की जाएगी।

श्री श्रीरामुलु की चिंताजनक दशा

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला विषय लेता हूं। आन्ध्र देश के निर्माण के लिए अनशन करने वाले श्री श्रीरामुलु की चिन्ताजनक दशा के विषय में स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे मिली है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मामला गम्भीर है। व्यक्ति का जीवन बहुत मूल्यवान होता है। परन्तु इसके पहले भी एक बार इसी उद्देश्य से अनशन किया गया था। क्या ऐसे उद्देश्यों के लिए ऐसे मार्गों का अवलम्ब किया जाना चाहिये ? मैं तथा अध्यक्ष महोदय इसको पसन्द नहीं करते। फिर भी माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद मैं इस विषय को समाप्त कर दूंगा।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, जैसा कि आप ने कहा है, किसी व्यक्ति के जीवन तथा मरण का प्रश्न बहुत नाजुक होता है। हमें उसकी उथली चर्चा नहीं करनी चाहिये। इस भावना का आदर करते हुए भी मैं निवेदन करूंगा कि महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में इस प्रकार के दबाव से यदि हम प्रभावित होने लगे तो संसद् के अधिकार तथा लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का अन्त हो जाएगा। मैं—सारे सदन के साथ—उस सज्जन के महात्म्य को स्वीकार करता हूं जो शायद अभी मृत्युशय्या पर लेटे हुए हैं। इसके विपरीत हमें उस उद्देश्य का महत्व भी समझ लेना चाहिए जिसके बारे में वे अनशन कर रहे हैं। मैं आग्रह-पूर्वक निवेदन करता हूं कि उस उद्देश्य के साथ इस पद्धति से व्यवहार करना असम्भव है—यह हो नहीं सकता। मैं उन सब लोगों से जिन्हें इस विषय में दिलचस्पी है तथा अनशन करने वाले सज्जन से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अधिक अच्छे तथा वैधानिक मार्ग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है। स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार को एक महत्वपूर्ण मामले में तुरन्त एक महत्वपूर्ण निर्णय देकर उनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकार अथवा संसद् इसको स्वीकार नहीं करेगी। मैं निवेदन करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस मामले का यहां निबटारा नहीं हो सकता।

डा० रामाराव (काकिनाडा) : श्री श्रीरामुलु की दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है। वे मृत्यु पथ पर हैं। आन्ध्र के सारे पक्षो· पक्ष तथा जनता इस विषय में चिन्तित हैं। सरकार कठोर वृत्ति का प्रदर्शन कर रही है.....

उपाध्यक्षमहोदय : मुझे भय है कि मैं इस विषय पर अधिक चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसमें गम्भीर परिणाम गर्भित हैं। मैं इस प्रकार का कोई पूर्व-दृष्टांत निर्माण करना नहीं चाहता।

यदि इस तत्व को मान्यता दी गई तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार सरकार अथवा संसद् को विवश कर सकेगा। जिन लोगों को इस विषय में दिलचस्पी है उन्हें श्री श्रीरामुलु को अनशन त्याग कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य मार्गों का अवलम्ब करने की सलाह देनी चाहिये।

स्थगन-प्रस्ताव नियमबाह्य ठहराया जाता है।

अनेक सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त सज्जन तथा उनके उद्देश्य के विषय में प्रधान मंत्री द्वारा पूर्ण सहानुभूति प्रगट की गई है। अब मैं इस स्थगन प्रस्ताव के विषय में अधिक कुछ सुनना नहीं चाहता।

इसके पश्चात् भी कुछ सदस्यों ने परिस्थिति के गांभीर्य के बारे में बोलना चाहा। परन्तु उपाध्यक्ष-महोदय द्वारा अनुमति न दी जाने पर डा० लंका सुन्दरम्, श्री एच० एन० मुकर्जी तथा अन्य कुछ सदस्यों ने सभा-त्याग किया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रसंग कुछ दुःखद सा है।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

प्रथम पंच वर्षीय योजना

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे संसद् के सामने योजना आयोग का वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सौभाग्य तथा सन्मान प्राप्त हुआ है जिस में पहली पंचवर्षीय योजना का विवरण दिया गया है। [**प्रति पुस्तकालय में रखी गई देखिए** IV. A. 2(6)]। अभी उस में दो विस्तृत ग्रंथ समाविष्ट हैं। मुझे खेद है कि वे अभी मुद्रित नहीं हुए हैं और मिमेओग्राफ़ रूप में ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं। हमने सोचा कि माननीय सदस्यों के लिए यही सुविधाजनक होगा कि इस अवस्था में इसी रूप में उस की चर्चा कर ली जाये। मुद्रित प्रतियां तैयार होने पर उपलब्ध कर दी जायेंगी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन के अन्दर ही अन्दर प्रत्येक सदस्य को ये दो भारी ग्रंथ वाचन-मनन के लिए मिल जायेंगे।

इन दो ग्रंथों के पहले कुछ अध्यायों में साधारण रचना तथा सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा की गई है। इस के बाद ब्योरेवार विवरण है। हमारा इरादा है कि कुछ दिन बाद विकास योजनाओं तथा विभिन्न उद्योगों एवं उद्योग विकास योजनाओं का ब्योरा देने वाले पूरक ग्रंथ भी प्रकाशित किये जायें। इस ब्योरे का उसका अपना महत्व अवश्य है परन्तु योजना के ढांचे की दृष्टि से वह गौण ही है।

अब, क्योंकि यह प्रतिवेदन अनिवार्यतः दीर्घ तथा विस्तृत है, योजना आयोग ने इस को सुलभ बनाने के हेतु विभिन्न पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं जिन में योज-

नाओं का सारांश दिया गया हैं । आज एक स्वल्प सारांश प्रगट हो रहा है जो समाचार-पत्रों को दिया जायेगा । सम्पूर्ण वृत्तान्त भी आज ही समाचार-पत्रों को तथा जनता को दिया जायेगा । आज जो सारांश वितरित किया जा रहा है उस के अतिरिक्त योजना का अधिकृत सारांश तीन चार दिनों के अन्दर उपलब्ध हो जायेगा । आगे चल कर, जनसाधारण के उपयोग के लिए योजना का संक्षिप्त परिचय देने वाला ३०० पृष्ठों का एक ग्रंथ मुद्रित करने का हमारा इरादा है । किन्तु ये सारे ग्रंथ तैयार होने में समय लगेगा । अनेक छोटी छोटी पुस्तिकायें प्रकाशित करने का भी हमारा इरादा है । इस समय मैं सदन के सामने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं और यह सुझाव रखता हूं कि अगले सोमवार, दिनांक १५ दिसम्बर, को हम उस पर विचार करें ।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपर) : यह चर्चा कितने दिन चलेगी ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं ३ दिनों का सुझाव रखूंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : पांच दिन ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रकार के प्रतिवेदन पर तीन सप्ताह तक भी लाभप्रद चर्चा सहज की जा सकती है । यह प्रतिवेदन तैयार करने में योजना आयोग ने खूब श्रम किये हैं । इन दो ग्रंथों में दो वर्षों के अथक परिश्रम प्रतिबिंबित होते हैं । आखरी दो तीन महीनों में तो कमाल के कष्ट उठाये गये हैं ।

इसकी विस्तृत चर्चा करने की इच्छा मैं समझ सकता हूं । योजना आयोग सदन की चर्चा से अधिकतम लाभ उठाना चाहेगा। समय की कमी के कारण ही मैं ने तीन दिन का सुझाव रखा है । यदि इस में वृद्धि की कोई गुजाइश हो और यदि सदन चाहता हो तो हम समय-वृद्धि के लिए कोशिश करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : पांच दिन ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि पांच दिन का समय रखा जाये तो जरा .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं एक समझौता सुझाऊं ? हम देर तक बैठ सकते हैं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : देर तक बैठने के लिए मैं तैयार हूं । और यदि सुविधा हो तो सदन एक अतिरिक्त दिन भी ले सकता है । अपितु, इसका विचार बाद में हो सकता है । चर्चा का निश्चित कार्यक्रम बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम मूलभूत तत्वों की चर्चा करें, न कि छोटे मोटे ब्योरे की । अन्यथा हम ब्योरे में ही डूब जायेंगे । और यद्यपि आज योजना आयोग का यह अन्तिम प्रतिवेदन है फिर भी, जैसा कि उसी प्रतिवेदन के अन्त में कहा गया है ऐसे क्षेत्रों में अन्तिम अचलता नहीं होती । नियोजन एक गतिमान प्रक्रिया है । सरकार अथवा संसद् इस का निरीक्षण करती रहेगी और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करेगी। इस में से किसी चीज को अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता । और यदि इस प्रतिवेदन में आये हुए किसी विषय की अग्रेतर चर्चा की आवश्यकता महसूस हो तो वह कभी भी की जा सकती है । परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन को विशेष रूप में इस योजना के आधारभूत सिद्धांतों की तथा मोटे ढांचे की चर्चा करनी चाहिए।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यदि हम यह निश्चय कर लेते हैं और यदि सदन उसको स्वीकार करता है, तो अन्य बातों की चर्चा बाद में किसी अन्य रूप में भी की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन की प्रतियां सूचनालय में रखी गई हैं। सदस्यों को पढ़ने-सोचने के लिए एक सप्ताह का समय मिल सकता है। आवश्यकता होने पर चर्चा के लिये एक अधिक दिन दिया जा सकता है। मैं देर तक बैठने के लिये भी तैयार हूं। हम सवेरे १० बजे आकर शाम को ६ बजे जा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : उन दिनों प्रश्न काल न रखा जाए।

समितियों के लिए निर्वाचन

लोक लेखा समिति

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सदन के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में से नियम १९७ के उप-नियम (१) में दी गई रीति के अनुसार, श्री बलवन्त नागेश दातार के त्याग-पत्र के कारण उनके स्थान पर वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के अवशिष्ट काल के लिये अपने में से लोक लेखा समिति पर एक सदस्य चुनने के लिए अग्रसर होंगे।"

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय रेशम पर्षद

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सदन केन्द्रीय रेशम पर्षद अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (३) के खंड (ग) के अनुसार तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित रीति से केन्द्रीय रेशम पर्षद पर अपने में से ३ सदस्य चुनने के लिये अग्रसर होगा।"

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

भारतीय क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : राजकुमारी अमृतकौर की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "यह सदन अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित रीति के अनुसार भारतीय क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति पर अपने में से ३ सदस्य चुनने के लिये अग्रसर होगा।"

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय छात्र सेना की केन्द्रीय परामर्श समिति

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सदन राष्ट्रीय छात्र सेना (संशोधन) अधिनियम १९५२ का अधिनियम ५७) द्वारा संशोधित राष्ट्रीय छात्र सेना अधिनियम (१९४८ का अधिनियम ३१) की धारा १२ की उप-धारा (१) (झ) के अनुसार तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित रीति से १ वर्ष की अवधि के लिए अपने में से राष्ट्रीय छात्र सेना की केन्द्रीय परामर्श समिति पर ७ सदस्य चुनने के लिए अग्रसर होगा।"

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त चार समितियों के लिए चुनावों का कार्यक्रम, स्थान तथा समय घोषित किये गए।

वर्ष १९५२-५३ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : निम्न कटौती प्रस्ताव नियमबाह्य हैं क्योंकि वे या तो अनुपूरक मांगों तक सीमित नहीं हैं या नीति विषयक प्रश्न उठाते हैं :—कटौती प्रस्ताव संख्या १, ४, १२, १७, २० एवं २१ और २५, २९, ३३, ३४, ४१, ४२, ४३, ४५ तथा ४८ के उत्तरार्ध।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : श्रीमान्, क्या यह प्रक्रिया का नियम है कि हमें अनुपूरक मांगों की चर्चा में नीति-विषयक प्रश्न नहीं उठाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आयव्ययक सत्र में किसी खाते की चर्चा के बाद नीति निश्चित करके कोई रकम स्वीकार की गई हो और उसी खाते पर कुछ अतिरिक्त राशि अभी मांगी जानी हो तो उसके विषय में नीति की चर्चा नहीं होनी चाहिये। लेकिन इस वर्ष के आयव्ययक में अनुल्लेखित किसी नए काम के लिए पैसा मांगा जा रहा हो तो उसके विषय में नीति की चर्चा की जा सकती है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या हम नीति की चर्चा फिर से जारी नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इन अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में हमें जो विवरण पत्रिकाएं दी गई हैं वे अत्यन्त संक्षिप्त हैं। पहले जब स्थायी वित्त समिति अस्तित्व में थी तब सदस्यों को इन मांगों के बारे में विस्तृत विवरण मिल जाता था। नीति की चर्चा तो करनी ही नहीं है, इसलिये हम चाहते हैं कि हमें मांगों का कुछ विस्तृत ब्यौरा दिया जाए ताकि हम अपना काम अधिक योग्यता से तथा शीघ्रता से कर सकें। मैं ने इसके बारे में वित्त मंत्री से प्रार्थना की थी।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं माननीय सदस्य का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे उनका पत्र मिलते ही मैंने अपने मंत्रालय में इस मामले के बारे में पूछताछ की। श्रीमान्, मुझे स्मरण है कि प्राक्कलन समिति में आपकी अध्यक्षता में हमने निश्चय किया था कि सरकार द्वारा सदन को ब्योरेवार जानकारी दी जानी चाहिए ताकि माननीय सदस्य ठीक ठीक समझ सकें कि मांगें क्या क्या हैं ? मंत्रालय द्वारा इसकी नोंद का गई थी। वस्तुतः मुझे बताया गया है कि उन्होंने सारे मंत्रालयों को परिपत्र द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में अधिक सम्पूर्ण तफसील दिया जाए। मुझे यह भी बताया गया है कि आयव्ययक की पद-टिप्पणियों में जितनी जानकारी दी जाती है उससे अधिक जानकारी अनुपूरक मांगों के ज्ञापन की पद-टिप्पणियों में दी गई है। इसमें कोई कमी तो है नहीं। तथापि यदि माननीय सदस्यों की राय में यदि किसी विशिष्ट मद की पूरी जानकारी नहीं दी गई है तो उस मद के प्रभारी मंत्री यहां उपस्थित हैं जो उस विषय पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। मुझे खेद है कि उक्त पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ और इतने थोड़े समय में मैं उसके मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं कर सका। परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य के लिए मैं ने इसकी

[श्री त्यागी]

नोंद की है। मैं मानता हुं कि यह मांग प्रामाणिक है और मैं अगले मौके पर सदन को सम्पूर्ण तफसील दिये जाने की व्यवस्था करूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि अनुपूरक मांगों के बारे में अधिक जानकारी दी जा सकती है। अतः मैं सुझाव रखता हूं कि प्रस्तुत चर्चा को कल तक स्थगित किया जाए और माननीय मंत्री आज शाम तक वह तफसील उपलब्ध कर दें जो उनकी राय में दी जा सकती है।

श्री त्यागी: मैंने अपने निवेदन में यह आरोप स्वीकार नहीं किया कि इस समय दी गई जानकारी आज तक दी जाने वाली जानकारी से कम है। मैंने निवेदन किया कि भविष्य में अधिक जानकारी देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी राय में, प्रस्तुत ज्ञापन की पद-टिप्पणियों में जितनी दी गई है उतनी जानकारी पहले नहीं दी जाती थी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: पहले तो इन बातों की चर्चा स्थायी वित्त समिति में हुआ करती थी और इस चर्चा के वृत्तान्त सदस्यों में वितरित किये जाते थे। अब तो हमें पता भी नहीं चलता कि आवरण के पीछे क्या होता रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों की अधिक जानकारी की मांग उचित है। क्या इस विषय में मैं एक सुझाव रखूं? अनुपूरक मांगों की इस चर्चा को कुछ दिन तक स्थगित क्यों न किया जाए? दरमियान सारी सम्बन्धित जानकारी माननीय सदस्यों में परिचालित की जाए। यदि किसी माननीय सदस्य को किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता हो, तो वे सचिव से लिखें जो सम्बन्धित मंत्रालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं..... मैं बैठक के स्थगन के बारे में काफी बहस सुन चका हूं। अब इस विषय अधिक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। अभी अभी एक परिवर्तन हुआ है। स्थायी वित्त समिति अस्तित्व में नहीं है। वहां की चर्चा के जो वृत्तान्त सदस्यों में वितरित होते थे वे अब उपलब्ध नहीं हैं..... मैं केवल कुछ मंत्रियों की सुविधा-असुविधाओं का विचार करना नहीं चाहता। मेरी राय में. प्रस्तुत चर्चा ता० १२ तक स्थगित रहनी चाहिए। यह तालियां बजाने का प्रसंग नहीं है। यहां न किसी की हार हुई है और न किसी की जीत।

ता० १२ को शाम के ५ बजे तक यदि अनुदानों की मांगों का निबटारा नहीं हो सका तो फिर 'मुखबन्द' के जरिये उन्हें निबटाया जाएगा। यदि माननीय सदस्यों को वे मुद्दे याद हैं जिनके बारे में वे जानकारी चाहते हैं, तो वे अपनी पृच्छाएं आज शाम ५ बजे तक भेज दें ताकि सरकार को जानकारी परिचालित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ता० १२ को शाम के ५ बजे 'मुखबन्द' द्वारा सारा मामला निबटाया जाएगा।

श्री नम्बियार: (मयूरम) श्रीमान्, कृपया शाम के ६ बजे तक समय बढ़ाइये।

उपाध्यक्ष महोदय: ५-३० बजे तक। इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब हम इस विषय पर अधिक समय खर्च नहीं करेंगे।

लोहा तथा इस्पात समवाय एकीकरण विधेयक— (जारी)

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर): वैसे तो यह वधेयक निरुपद्रवी प्रतीत होता है।

परन्तु जिस धातु से यह सम्बन्ध रखता है वह धातु महत्वपूर्ण होने के कारण सदन को इस प्रश्न का व्यापक विचार करना चाहिए। सरकार लोहे तथा इस्पात का उत्पादन करने वाले दो समवायों का इस विधेयक द्वारा एकीकरण कर इस संमिश्र समवाय को ऋण देने का तथा विश्व बैंक से ऋण दिलवाने का विचार कर रही है।

विद्यमान युग को 'इस्पात का युग' कहा जा सकता है। इस्पात उद्योग द्वारा उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। उस से अन्य उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आधुनिक औद्योगिक संस्कृति का आधार इस्पात उद्योग है। यह 'आक्रमक' उद्योग है। इस्पात का उत्पादन खर्चीला होने के कारण, उत्पादक देश अपना माल गरीब देशों पर लादने की कोशिश करते रहते हैं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री ए० सी० गुहा : इस्पात की वजह से विश्व में आर्थिक साम्राज्यवाद का उदय हुआ। इस्पात के उद्योग में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। शस्त्रास्त्र बनाने में इस्पात का उपयोग होता है। इसी लिए प्रत्येक देश इस्पात उद्योग का नियंत्रण करने के विषय में सावधान रहता है।

भारत में इस्पात के दो बड़े कारखाने हैं। एक टाटा का तथा दूसरा एस० सी० ओ० बी०। मैसूर का कारखाना नगण्य है। प्रत्येक देश में इस्पात के कारखानों की संख्या स्वल्प होने के कारण एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। आगे सारे विश्व में एकाधिकार स्थापित कर मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर अंकुश रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। इस प्रवृत्ति को देखते हुए हमें और भी सतर्क रहना चाहिए।

अब शूमन योजना के अन्तर्गत यूरप में कोयले तथा इस्पात का उत्पादन तथा वितरण नियंत्रित करने के लिए शूमन संगठन जारी किया गया है। हम हमारी इस्पात नीति निर्धारित करने के पहले शूमन योजना के परिणामों का ख्याल करना चाहिए।

कुछ वर्ष के पहले इंगलिस्तान में इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका एक प्रधान कारण यह था कि वहां के उद्योगपति अपने देश की आवश्यकताएं पूरी करने की कोई योजना नहीं दे सकते थे। हमें मालूम नहीं कि इस्पात के बारे में हमारे देश का क्या कार्यक्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारी बातें किस प्रकार प्रासंगिक हैं? उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा तटकर आयोग के सिफारिश के अनुसार एकीकरण किया जा रहा है। शूमन योजना तथा अन्य योजनाओं का इस से कोई सम्बन्ध नहीं। इस एकीकरण पर आप को क्या आपत्ति है?

श्री ए० सी० गुहा : हमें इन दो निजी समवायों को सरकारी सहायता देनी चाहिए या इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए?

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : क्या हम इस सहायता की शर्तों की ब्योरेवार चर्चा कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): जब हम एकीकरण करने जा रहे हैं तब क्या हम राष्ट्रीयकरण के विकल्प का सुझाव नहीं रख सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यहां हम केवल दो समवायों के एकीकरण की बात सोच रहे हैं। इस्पात के राष्ट्रीयकरण का विषय विचाराधीन नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमें इस्पात का एकाधिकार क़ायम करने में इन दो समवायों की मदद करनी चाहिए अथवा राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये दो समवाये अलग अलग रहें तो क्या होगा ?

श्री ए० सी० गुहा : तो फिर उन्हें ३१ करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव नहीं उठेगा। यह एकीकरण प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ३१ करोड़ रुपयों के ऋण दिये जाने का आश्वासन देता है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : क्या मैं स्मरण दिलाऊं कि जब कभी सरकार २ करोड़ से अधिक रुपयों का ऋण देना चाहेगी तब आयव्ययक में उसका विनियोग करना होगा और तब सदन में उसकी चर्चा होगी ।

श्री ए० सी० गुहा : तटकर आयोग का प्रतिवेदन तथा विश्व बैंक का दबाव आने से सरकार इन दो समवायों के एकीकरण के लिए उद्यत हुई है। इन दो समवायों ने एकीकरण स्वीकार करने के पहले कुछ शर्तें सामने रखीं। अतः मैं समझता हूं कि इन शर्तों की चर्चा करने का हम हक़ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार तथा समवायों के बीच ऐसा कोई करार नहीं है जो एकीकरण के पश्चात् सरकार पर बन्धनकारक हो। क्या ऐसा कोई करार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार जो ऋण देगी तथा विश्व बैंक से दिलवाने में मदद करेगी उस ऋण के सिवाय केवल एकीकरण से भी इस्पात उत्पादन की बुनियाद बदल जाती है । तटकर आयोग ने बताया था कि एकीकरण के फलस्वरूप उन्हें उतना धारणा-मूल्य मिल सकता था जितना आज तक न मिला हो। स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल (एस० सी० ओ० बी०) की यन्त्र-सामग्री असन्तुलित होने के कारण अभी वहां का इस्पात उत्पादन महंगा पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम केवल एकीकरण की चर्चा कर रहे हैं। ऋण देने का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

श्री के० के० बसु : मैं जानकारी चाहता हूं। यह समवाय अधिनियम के अधीन होने वाला साधारण एकीकरण तो है नहीं। सरकार इन दो समवायों के एकीकरण का विशेष विधान बना रही है। इस में कुछ शर्तें अवश्य होंगी। इसलिए हमें हक हो जाता है कि इन समवायों की सहायता करने के बारे में हम साधक बाधक चर्चा करें ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : समवायों द्वारा शर्तें रखी जाने का सवाल नहीं है। प्रथम ये समवाय सहायता की अपेक्षा से सरकार के पास पहुंचे। सरकार ने कुछ शर्तें दीं। सरकार चाहती है कि इन समवायों का एकीकरण हो। इसीलिए यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है ।

श्री ए० सी० गुहा : इन समवायों ने एकीकरण स्वीकार किया लेकिन साथ

ही साथ कुछ शर्तें भी रखीं। ये शर्तें जाहिर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एकीकरण संपन्न होने पर भी सरकार पर कोई बन्धन नहीं आता। एकीकरण के पश्चात् भी सरकार ऋण देने से इन्कार कर सकती है। इसलिए आज माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वह नियमबाह्य है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एकीकरण के बाद सरकार द्वारा कोई बन्धन स्वीकार नहीं किया गया है? क्या यह सच नहीं है कि सरकार को लगभग ३१ करोड़ रुपयों का वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तविक परिस्थिति माननीय सदस्य की समझ में नहीं आई। सरकार योजना करती है तथा कुछ मार्गों तथा साधनों का सुझाव रखती है परन्तु ये सब काम संसद के अधीन होते हैं। जब सरकार ऋण देने का प्रस्ताव करती है तब अनुमति देना या न देना संसद के हाथ में है। किन्तु सरकार निष्क्रीय नहीं रह सकती। हमें भारत का इस्पात उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। अन्ततोगत्वा, जब ऋण देने को मौका आएगा—फिर चाहे वह १० करोड़ रुपये का हो या ११ या १२—तब संसद से अनुमति लेनी होगी और तब वह इन्कार कर सकती है। यहां सवाल इतना ही है कि इस्पात का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार इन दो समवायों का एकीकरण चाहती है। जब ऋण देने का सवाल आएगा तब इनके राष्ट्रीयकरण का अथवा नया कारखाना खोलने का विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः राष्ट्रीयकरण की बातें नियमबाह्य हैं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या हम ऋण की चर्चा कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : ऋण का सवाल विचाराधीन नहीं है। इस विधेयक के संदर्भ में वह अतिव्याप्त है।

श्री ए० सी० गुहा : आपके निर्णयों का ख्याल रखते हुए मुझे अपना भाषण इन दो समवायों के कुछ पहलुओं तक ही सीमित रखना होगा। सन् १९४९ से तटकर आयोग द्वारा एकीकरण की सिपारिश की जा रही है। लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। जब विश्व बैंक ने ऋण देने के पहले एकीकरण की शर्त रखी तब ये दो समवाय एकी करण के लिए राजी हो गए हैं। सरकार की इस असफलता का क्या कारण . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : त्रयस्थ व्यक्ति द्वारा गलती दिखाई जाने पर भूल सुधारी जा रही है।

श्री ए० सी० गुहा : इन दो समवायों ने सरकारी सिपारिशों की अपेक्षा करने का बल प्रगट किया। इससे पता चलता है कि सरकार ने इस उद्योग से तथा इन दो समवायों से किस प्रकार बर्ताव किया है। और अब नई व्यवस्था के अनुसार इन दोसमवायों के अधिमान्य अंश कायम रहेंगे। मैं समझता हूं कि टाटा के भी अधिमान्य अंश हैं। इन अधिमान्य अंशों को क्यों कायम रखा जा रहा है? समवाय को लाभ हो या न हो, उन्हें अपना प्रतिशत लाभांश मिलता ही रहेगा। अब इस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जब ये दो समवाय मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी द्वारा आरंभ हुए तब इन का

[श्री ए० सी० गुहा]

स्वामित्व युरोपियनों के हाथों में था। उस समय उनकी लन्दन-समितियां तथा लन्दन-कार्यालय थे। अब इनका स्वामित्व भारतीयों के हाथों में आने पर भी लन्दन कार्यालय की क्या आवश्यकता है?

आय० आय० एस० सी० ओ० में अब तक १३·१२ प्रतिशत का औसत लाभांश मिलता था और एस० सी० ओ० बी० में ६·५ प्रतिशत। एकीकरण के बाद इन्हें ११ प्रतिशत लाभांश मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक को पारित करते समय सरकार को, जो इन्हें ६१ करोड़ रुपए का ऋण देने जा रही है, साधारण अंशों की लाभ-शक्ति पर मर्यादा लगा देनी चाहिए। इसी प्रकार इन समवायों द्वारा जो ऊपरी व्यय लगाया जाता है उस पर भी सदन को निगरानी रखनी चाहिए। एस० सी० ओ० बी० ने प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में प्रति वर्ष ४,२०,००० रुपए का पारिश्रमिक मांगा है। मुझे मालूम नहीं कि आय एस० सी० ओ० की मांग क्या है। वास्तव में तो ये दोनों समवाय एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता के अधीन हैं। अतः सरकार को चाहिए कि प्रबन्ध अभिकर्ता के पारिश्रमिक की राशि निर्धारित कर दें।

इन समवायों के अंश-धारकों की सभा में संचालक-पर्षद के सभापति ने बताया कि सरकार उन्हें १० करोड़ रुपये का ऋण देने जा रही है जिस पर पहले चार वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा तथा जिस के वापसी का दिन निश्चित नहीं लिखा होगा और वापस मांगे जाने पर जिसका भुगतान धारणा-मूल्य बढ़ा कर किया जा सकेगा। इस से जाहिर है कि इन समवायों ने कुछ शर्तें रखी हैं..

श्री टी० टी कृष्णमाचारी : क्या मैं अपने माननीय मित्र के भाषण में विघ्न करूं? उनका कहना यथार्थ नहीं है। यह निःसन्देह सही है कि जब तक उत्पादन आरंभ नहीं होता तब तक इस विशेष ऋण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद ब्याज शुरू होगा। ब्याज की राशि ऊपरी व्यय में समाविष्ट होगी और उस प्रमाण में धारणा-मूल्य में वृद्धि देनी होगी। ऋण की वापसी तथा उस वापसी का तरीका, समय, आदि बातों का निर्धारण तटकर आयोग द्वारा होगा। यदि ऋण चुकाने के लिए निधि खड़ा करना हो तो मूल्यों में वृद्धि करनी ही होगी। अथवा इसी उद्देश्य के लिए समवाय को माटन से पूंजी प्राप्त करनी होगी। सरकार ने ये शर्तें सुझाई हैं। उन्हें अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः यह कहने से वस्तुस्थिति का यथार्थ वर्णन नहीं होगा कि सारा ऋण मुफ्त में दिया जा रहा है, वापसी की कोई तिथि निश्चित नहीं है तथा समूचे अधिकार अंश-धारकों के हाथों में ही होंगे।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने समवाय के सभापति के शब्द उध्दृत किये हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमा चारी : अब माननीय सदस्य सरकार के शब्द उध्दृत कर सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : जब तक सरकार वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं करती तब तक हमें समवाय के सभापति के भाषण पर ही निर्भर रहना होगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब हम ऋण देने का प्रस्ताव सदन के सामने रखेंगे तब ऋण की शर्तों पर स्पष्ट प्रकाश डालेंगे। तब सदन उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऋण का प्रस्ताव जब सदन के सामने आएगा तब उसकी शर्तों तथा निबन्धनों की चर्चा तथा मूल्यापन किया जा सकता है। माननीय मंत्री यह आश्वासन दे चुके हैं कि ऋण का प्रश्न वे सदन के सामने रखेंगे तथा उसके बारे में सदन से मंजूरी लेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं और यह भी बता दूं कि सरकार को इस विषय में गहरी दिलचस्पी है क्योंकि इस्पात-उत्पादन बढ़ाने के सामान्य लाभ के अलावा, सरकार ने सरकारी निधि में जो रुपये जमा किये हैं उन में से यह ऋण दिया जाएगा। इस्पात के प्रत्येक टन के पीछे हमने इन समवायों को केवल ३१९ रुपये दिये हैं और ८१ रुपये समकारी निधि में जमा किये हैं। मैं अपने अन्तिम भाषण में इस पर अधिक प्रकाश डालूंगा। लेकिन संसद् की अनुमति के सिवाय हम किसी समवाय को एक पाई भी नहीं देंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडंगांव) : मैं आप के इस निर्णय को स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीयकरण अथवा ऋण की चर्चा अभी नहीं की जानी चाहिए। किन्तु प्रस्तुत विधेयक की प्रस्तावना में इस्पात उत्पादन ढ़ाने की सरकारी योजना का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह उचित होगा कि उक्त योजना का स्वरूप सदन को बताया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यहाँ ऋण की कोई योजना नहीं है। क्या प्रस्तुत विधेयक में ऐसा कोई खंड है कि सरकार किसी ऋण का प्रबन्ध करेगी ?

श्री के० के० बसु : क्या मैं माननीय मंत्री के भाषण का कुछ उद्धरण दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम माननीय मंत्री के भाषण की नहीं किन्तु विधेयक की चर्चा कर रहे हैं। जो बातें इससे सम्बद्ध नहीं है उनकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। सन् १९४८ में जब औद्योगिक वित्त निगम विधेयक की चर्चा हो रही थी तब राष्ट्रीयकरण तथा अन्य साधारण नीति की चर्चा हुई थी तथा सभापति द्वारा उसकी अनुमति दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त निगम का नये से निर्माण हो रहा था। अतः यह चर्चा प्रासंगिक थी कि उसका संचालन निजी रूप से किया जाए अथवा सरकारी तौर पर। यहां इस प्रकार की चर्चा अप्रासंगिक है क्योंकि हम किसी नई संस्था का निर्माण नहीं कर रहे हैं। विद्यमान समवायों के एकीकरण इष्टानिष्टता की चर्चा में राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री के० के० बसु : क्या हम माननीय मंत्री द्वारा इस विधेयक का पुरःस्थापन करते समय दिये गये वक्तव्य का उपयोग कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण के हेतु यदि कोई किसी बात का उल्लेख करे तो केवल उसी के कारण वह बात प्रासंगिक नहीं बन जाती। जो बात प्रस्तुत विधेयक की व्याप्ति के बाहर है उस की अनुमति मैं नहीं दूंगा। अतः केवल इसलिए कि माननीय मंत्री ने कोई बात कही थी, मैं उसकी चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० सी० गुहा : तटकर आयोग के प्रतिवेदन में बताया गया है कि आय० आय०

[श्री ए० सी० गुहा]

एस० सी० ओ० ने एकीकरण को स्वीकार करने के पहले हिरापुर ब्लाक के बारे में कुछ आश्वासन मांगे थे। ये आश्वासन आर्थिक दृष्टिकोण से इष्ट हो या अनिष्ट; परन्तु एक बात साफ है कि ये दो समवाय अपने आपको इतने समर्थ पाते हैं कि सरकार को उनकी शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं।

इस संयुक्त समवाय का संचालक पर्षद कैसे बनेगा ? एक खंड में बताया गया है कि सरकार कुछ संचालकों के नामनिर्देशन के बारे में नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में रखेगी। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा ऋण देने के पहले सरकार को प्रस्तुत विधेयक में इस समवाय पर नियंत्रण की शक्ति देने वाले उपबन्ध समाविष्ट करने चाहियें।

इस्पात उद्योग को संरक्षण तथा प्रोत्साहन देने के विषय में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरी राय में चीनी तथा अन्य कई उद्योगों की अपेक्षा इस्पात उद्योग ने प्रगति का अच्छा परिचय दिया है। इस संदर्भ में मैं श्री जमशेद जी टाटा तथा श्री पी० एन० बोस का उल्लेख करना चाहता हूं। श्री बोस ने लोहे के स्रोतों का पता लगाया और साहसप्रिय जमशेद जी टाटा को जमशेदपुर में कारखाना खोलने के लिए उद्यत किया। उनकी कन्या इस सदन की सदस्या है।

श्री बंसल : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। क्योंकि उस में आयोग की सिपारिशों को कार्यान्वित किया गया है और इससे परमावश्यक धातुओं का उत्पादन बढ़ने वाला है।

विद्यमान युग में इस्पात का महत्व सब लोग जानते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में प्रतिवर्ष केवल १५ लाख टन इस्पात उत्पन्न होता है। अमरीका में १००० लाख टन होता है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में इस्पात का उत्पादन १ से २ लाख टन तथा कच्चे लोहे का उत्पादन ३.५ लाख टन से बढ़ने की उम्मीद है। मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि इस उद्योग के विकास को पूर्ववर्तिता दी जाए।

तटकर आयोग द्वारा एकीकरण के लिए जो अंश प्रमाण निर्धारित किया गया है उस में अत्यधिक असावधानी का परिचय दिया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ४.५ का जो प्रमाण निर्धारित किया गया है उस का मैं विरोध नहीं करता किन्तु जिस जल्दबाजी से यह निर्धारण किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

जो लोग किसी समवाय के अंश खरीदते हैं वे केवल लाभांश पर ध्यान नहीं दिया करते। वे जो समवाय की स्थिरता, उनके लगाये हुए धन की सुरक्षितता, समवाय द्वारा संचित अवक्षयण निधि, आदि उनके बातों का ख्याल करते हैं। अतः प्रमाण निर्धारित करने के पहले इन बातों का सूक्ष्म विचार आवश्यक था। मैं आशा करता हूं कि माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तटकर आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे और यदि आयोग के पास सक्षम लेखाधिकारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो आवश्यकता के अनुसार अधिक कर्मचारी भर्ती करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य यह संकेत करना चाहते हैं कि किसी लेखाधिकारी ने इस मामले का अध्ययन नहीं किया है तो मैं उन्हें तुरन्त बता सकता हूं कि उनका कथन गलत है।

श्री बंसल : मेरा निवेदन यह था कि आयोग ने अथवा उस के लागत-लेखा-धिकारी ने जिस ढंग से इस काम को किया है उस से उनकी कार्यक्षमता का गौरव नहीं बढ़ता ।

मेरे माननीय मित्र श्री ए० सी गुहा ने ऋण तथा उसकी शर्तों का उल्लेख किया था । तटकर आयोग का उक्त प्रतिवेदन मेरे पास भी है । उस में केवल इतना ही कहा गया है कि संयुक्त समवाय को वही धारण-मूल्य दिया जाना चाहिए जो टाटा को दिया जाता है । इससे अधिक कोई रियायत नहीं दी गई है । हमारे इस्पात का मूल्य दुनिया में न्यूनतम है । अनेक नामवंत व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया है कि हमें धारण-मूल्य बढ़ाकर पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए जो पुराने अथवा नए समवार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है ।

श्री ए० सी० गुहा : यह निधि तो केवल तीन या चार करोड़ रुपये का है ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री बंसल : इस निधि को बढ़ाने का सुझाव है । हमारे इस्पात का मूल्य दुनिया के इस्पात-मूल्य से आधा है । हम दुनियां के कुल इस्पात उत्पादन का आधा या पौना प्रतिशत हिस्सा हमारे देश में उत्पन्न करते हैं । इस उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए । धारण-मूल्य बढ़ा कर तथा जनता से पैसा इकट्ठा कर इस काम के लिए पूंजी प्राप्त की जा सकती है ।

एस० सी० ओ० बी० को कच्चे माल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आय० आय० एस० सी० ओ० पर अवलम्बित रहना पड़ता था और बहुत कठिन शर्तें स्वीकार करनी पड़ती थीं । परिणाम यह हुआ कि आय० आय० एस० सी० ओ० के पास एस० सी० ओ० बी० गिरवी रक्खी गई सी थी । सरकार ने इसका इलाज करने का काम तटकर आयोग को सौंपा जिसने दोनों समवायों के एकीकरण की सिपारिश की । सौभाग्य की बात है कि सरकार ने अध्यादेश निकाल कर तथा विधेयक प्रस्तुत कर इस सिपारिश पर अमल किया है तथा दोनों समवायों ने भी उसको स्वीकार किया है । उक्त समवायों के सभापति ने एक परिपत्र में बताया है कि विश्व बैंक इस्पात के उत्पादन की वृद्धि के लिए १५ करोड़ रुपए का ऋण देने की बातचीत करने को तैयार है बशर्ते कि दो समवायों का एकीकरण किया जाए ।

इससे जाहिर है कि बैंक ने अथवा सरकार ने ऋण का कोई वचन नहीं दिया है । उन्होंने केवल ऋण की बातचीत करना स्वीकार किया है । जब ये समवाय सहायता की आशा से सरकार के पास पहुंचे तो सरकार ने पहले एकीकरण पर जोर दिया । अब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है । मैं नहीं जानता कि सदन को उन के विषय में साशंक क्यों रहना चाहिए आखिर मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब ऋण देने का सवाल आयेगा तब यदि सदन की राय में उनकी शर्तों पर ऋण देना हानिप्रद प्रतीत हो, तो वह उस प्रस्ताव को ठुकरा सकता है ।

इन थोड़े शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री बासप्पा (टुमकुर) : एकीकरण की इस योजना का हमें स्वागत करना चाहिए

[श्री हासप्पा]

देश में इस्पात की कमी को देखते हुए हमें इस्पात उद्योग की सर्वांगीण परीक्षा करनी चाहिए ।

हमें प्रति वर्ष २५ लाख टन इस्पात की आवश्यकता होती है । इस देश में लगभग ११ लाख टन इस्पात बनता है । प्रमुख उत्पादकों के नाम इस प्रकार है: टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, स्टील कार्पोरेशन आफ बेंगाल लि०, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०, तथा भद्रावती आयरन वर्क्स लि०, मैसूर । प्रस्तुत विधेयक द्वारा इन में से दूसरे तथा तीसरे समवाय का एकीकरण होने जा रहा है । इस उपाय के फलस्वरूप उक्त समवायों की स्थिति सुधरेगी । साथ ही साथ हमें राष्ट्रीय हितों का भी विचार करना चाहिये । देश के औद्योगिक विकास के लिए रेलवे एवं आयुध निर्माण के लिए तथा खेती एव अन्य कामों के लिए इस्पात की आवश्यकता बढ़ती जा रही है । हम इस्पात के बारे में काले बाजार के किस्से सुनते हैं । लोहे की चादर, जिसकी अधिकृत कीमत छः या ७ रुपए होती है, उसके काले बाज़ार में १० या १२ रुपए पड़ते हैं । इस्पात का उत्पादन बढ़ने से यह काला बाज़ार बन्द हो जायेगा । इसलिए हमें इस एकीकरण की योजना का स्वागत करना चाहिये । युद्धकाल में उत्पादन की गति बढ़ जाने से हमारे कारखानों की यंत्रसामग्री घिस गई है । उसे बदलना आवश्यक है । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की यंत्रसामग्री का कुल मूल्य २७ करोड़ रुपए है जिसमें से १७ करोड़ की सामग्री बदलना आवश्यक है । सरकार को इस प्रश्न का भी विचार करना चाहिये । एकीकरण द्वारा इस समस्या का हल सुलभ हो जाएगा । इन समवायों की विस्तार योजनाएं पूरी तौर से अमल में लाई जाने पर भी हमारा उत्पादन १६ लाख टन होगा । फिर भी ९ लाख टन की कमी रहती है । इसलिए सरकार को इस्पात के अद्यावत तथा बड़े कारखाने खोलने चाहियें । संसद् के सदस्य इस विषय में सजग है यह अत्यन्त सन्तोष की बात है । यह भी सुना जाता है कि जापानी उद्योगपति भारतीयों की मदद से यहां कुछ बड़े कारखाने खोलने को उत्सुक हैं । पंचवर्षीय योजना में भी इस उद्योग के विकास के लिए ३ वर्षों में ८० करोड़ रुपए का प्राक्कलन किया गया है ।

प्रस्तुत एकीकरण व्यवहार्य होने का प्रमुख कारण यह है कि तटकर पर्षद् ने स्टील कारपोरेशन आफ बेंगाल को अधिक धारण--मूल्य देने की सिफ़ारिश की है । तटकर पर्षद् ने भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार मूल्य-वृद्धि किए बिना एकीकरण असंभव है । लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि इस से सामान्य ग्राहकों के हितों को हानि पहुंचती है । अधिक धारण-मूल्य देने से साधारण ग्राहकों के लिए भी इस्पात का मूल्य बढ़ जाएगा । इस्पात की आवश्यकता तो गरीब लोगों को भी हुआ करती है । इसलिए धारण-मूल्य का निर्धारण हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए । उत्पादन की लागत, ऊपरी व्यय, देश में इस्पात एवं लोहे का सामान्य मूल्य, आदि बातों पर पूरा विचार किया जाना चाहिए । टाटा द्वारा जो इस्पात बनाया जाता है उसकी लागत एस० सी० ओ० बी० तथा अन्य कारखानों से बहुत कम होती है । इसके कारणों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि धारण-मूल्य में की गई वृद्धि के कारण कुछ कारख़ानों के मालिकों की जेबें गरम हो जाएं ।

विभिन्न समवायों को दिए जाने वाले धारण-मूल्य में विभेद करते समय भी ग्राहकों के हितों का प्रथम ख्याल रखना चाहिये। इस विभेदात्मक मूल्य निर्धारण की नीति पर अमल करने से लोहे तथा इस्पात के सामान्य मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की ओर आकर्षित करूंगा। सरकारी कारखाना होते हुए भी यह अत्यधिक उपेक्षित है। भूतकाल में ऐसा भी एक समय था जब मैसूर की जनता इसे सफेद हाथी समझ कर बन्द कर देना चाहती थी। अभी इस कारखाने में लगभग ४०,००० टन लोहा तथा इस्पात बनता है। अगले ४ या ५ वर्षों में यह उत्पादन १ लाख टन तक बढ़ाने की सरकारी योजना है। भारत सरकार ने इस समवाय को ४० लाख रुपए का ऋण दिया है। किन्तु अन्य समवायों की अपेक्षा इसको मिलने वाली सहायता अत्यल्प है। यह सरकारी कारखाना होने की वजह से इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : प्रस्तुत विधेयक स्वागताई है। मेरे माननीय मित्र श्री बंसल ने तटकर आयोग के बारे में कुछ कटु वचन कहे तथा उसकी बुद्धिमानी में सन्देह प्रगट किया। उनकी इस आलोचना से मैं सहमत नहीं हूं। तटकर आयोग ने, जैसा कि उसके प्रतिवेदन से प्रगट होता है, इन दो समवायों के अंशों का प्रमाण निर्धारित करने में अनेक बातों का विचार किया परन्तु अन्तिम निर्णय जाहिर करते समय उन सब कारणों को प्रगट नहीं किया क्योंकि संभवतः उन समवायों के हित में उन्हें गुप्त रखना ही उचित था।

कुछ ही समय पहले सरकार ने बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम का संशोधन करवाया और कलकत्ता के तीन बैंकों का एकीकरण कर युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया स्थापित किया। अब यह दूसरा मौका है जब सरकार सदन के सामने एकीकरण का सुझाव रख रही है। वाणिज्य तथा औद्योगिक संस्थाओं के एकीकरण द्वारा जब कार्यक्षमता तथा मितव्ययिता का विकास होता है तब हमें उसका समर्थन करना चाहिये। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिये कि एकीकरण के फलस्वरूप एकाधिकार की प्रवृत्ति प्रबल न हो जाए। प्रस्तुत समवायों के विषय में यह धोखा नहीं है। जिस आर्थिक व्यवस्था में निजी उपक्रमों को विकास का अवसर दिया जाता है वहां केवल आपसी स्पर्धा द्वारा ही ग्राहकों के हितों का रक्षण होता है। स्पर्धा के कारण ही उत्पादित वस्तुओं में सुधार होता है, कीमतें सस्ती होती हैं और ग्राहकों को हर प्रकार से लाभ होता है।

देश में संरक्षित उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। संरक्षण का बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ता है। मैं प्रस्तुत विधेयक के बारे में सरकार का अभिनन्दन करता हूं लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार की औद्योगिक नीति में ऐसे कुछ दोष हैं जिन की वजह से उसके उद्देश्यों की सिद्धि में बाधा पड़ती है। प्रति वर्ष इस देश से लोहे के टुकड़ों की प्रचंड राशि निर्यात की जाती है। हमारी सरकार का सारा ध्यान उत्पादन—वृद्धि पर लगा हुआ है। मैं इस का विरोध नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो लोहे के अथवा इस्पात के टुकड़े देश में उपलब्ध हैं उनका भी पूरा उपयोग किया जाता है। मुझे बताया गया है कि अन्डमान में लोहे के

[डा० एम० एम० दास]

टुकड़ों की प्रचंड राशि पड़ी हुई है। क्या इस का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता? अशुद्ध लोहे के बारे में भी सरकार ने आत्म-घातक नीति का परिचय दिया। जब कलकत्ता में अशुद्ध लोहे का दुर्भिक्ष था तब सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में उसका निर्यात होने दिया। भाषण समाप्त करने के पहले मैं सरकार से फिर एक बार पूछना चाहता हूं कि लोहे के टुकडों के निर्यात के बारे में क्या सरकार ने कोई नीति निश्चत की है?

श्री बी० वी० गांधी (बम्बई नगर-उत्तर): किसी देश में जो इस्पात की राशि उपयोग में लाई जाती है उस से वहां के औद्योगिक प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। इस दृष्टि से हमारी स्थिति क्या है? संयुक्त राज्य अमरीका में प्रत्येक व्यक्ति के पीछे ३६४ युनिट इस्पात उपयोग में लाया जाता है, अंगलिस्तान में १९४, मलाया में १६, सीलोन में ६, और भारत में ३८। अतः भारत का इस्पात उत्पादन बढ़ाने की योजना का हम सह समर्थन करेंगे। भारत में इस्पात के स्रोत विपुल हैं तथा उत्पादन के साधन तथा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दुनिया के इस्पात उत्पादकों में हमारा स्थान और ऊपर उठ सकता है।

माननीय मंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में बताया कि इस एकीकरण के फलस्वरूप इस्पात का उत्पादन बढ़ जायगा तथा लागत घट जाएगी। इन उद्देश्यों का हम सदैव समर्थन करेंगे। परन्तु इस विधेयक के सम्बन्ध में हमें जो साहित्य दिया गया है उस में अधिकतर इसी बात की चर्चा है कि स्टील कार्पोरेशन आफ बेंगाल की मांगें क्या हैं, उसे कितनी वित्तीय सहायता चाहिए, विश्व बैंक से ऋण के लिए कितने की जमानत चाहिए तथा धारण-मूल्य में कितनी वृद्धि चाहिए। हम इन बातों का विरोध नहीं करेंगे यदि उनसे हमारे उद्देश्यों की सिद्धि होती है।

तटकर आयोग द्वारा धारण-मूल्य की वृद्धि के प्रश्न की सूक्ष्म जांच की गई है और उस के बाद मूल्य-निर्धारण हुआ है। अतः मुझे विश्वास है कि हम सब उसे स्वीकार करेंगे।

एस० सी० ओ० बी० तथा आय० आय० एस० सी० ओ० की उपार्जन-शक्तियों में जो अंतर है वही एकीकरण के मार्ग में सब से बडी रुकावट थी। एस० सी० ओ० बी० की दूसरी मांग यह थी कि उसे आय० आय० एस० सी० ओ० के बराबर लाभांश प्राप्त करने की स्थिति में रखा जाए। अर्थात्, नए धारण-मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाएं कि एस० सी० ओ० बी० को आय० आय० एस० सी० ओ० की बराबरी में लाभांश मिल सकें। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता तथा विश्व बैंक द्वारा ऋण का उल्लेख भी इस साहित्य में बारम्बार किया गया है। परन्तु इसका कोई विस्तृत विवरण नहीं कि उक्त एकीकरण से हमें क्या लाभ होगा। मुझे सन्देह नहीं कि इससे अवश्य लाभ होगा। मेरी शिकायत केवल इतनी ही है कि इसका कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। यंत्र सामग्री का विस्तार, उत्पादन की वृद्धि, आदि बातों का नाम मात्र उल्लेख किया गया है। इस त्रुटित उल्लेख से मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि देश को इस एकीकरण से क्या लाभ होने वाला है।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि इस विधेयक को स्वीकार

करने से हम निजी उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैं एक सुझाव रखूंगा कि करदाताओं के देश के तथा सरकार के गहरे हितसम्बन्धों को देखते हुए इस उद्योग के लिए शीघ्र ही एक लोहा तथा इस्पात पर्षद की नियुक्ति की जानी चाहिए। अंगलीस्तान में भी इस प्रकार के पर्षद की नियुक्ति की चर्चा जारी है। आज हम टाटा के बारे में एक नीति रखते हैं, इस संयुक्त समवाय के बारे में दूसरी नीति को स्वीकारते हैं और अन्य छोटे कारखानों के बारे में किसी तीसरी नीति पर चलेंगे। अतः हमारी नीति में एक सूत्रता लाने के लिए लोहा तथा इस्पात पर्षद की नियुक्ति का विचार शीघ्र किया जाना चाहिए।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम उत्तर) : यह एकीकरण इस वर्ष नवम्बर में एक अध्यादेश द्वारा हो चुका है। प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य उसको प्रमाणित करना है। तटकर पर्षद तथा तटकर आयोग जैसे श्रेष्ठ सलाहकारों की सिपारिशों पर यह एकीकरण हुआ है और इसके अच्छे फल प्रगट भी हुए हैं। मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

परन्तु एक तथ्य की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एकीकरण के फलस्वरूप इस संयुक्त समवाय ने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। लगातार कई वर्षों से इन कारखानों में काम करने वाले लोगों को एकीकरण के परिणामस्वरूप निकाला नहीं जाना चाहिए। यदि यंत्र सामग्री का विस्तार तथा उत्पादन की वृद्धि के हेतु एकीकरण किया जा रहा है तो फिर अनुभवी कर्मचारियों को काम से हटाने की क्या आवश्यकता है? मैं उसी क्षेत्र का हूं और मुझे बताया गया है कि लगभग १०० व्यक्तियों को अभी अभी काम से हटाया गया है। इस छटनी के विरुद्ध एक दिन का हड़ताल भी हुआ था। एकीकरण के परिणामस्वरूप बेरोज़गारी नहीं बढ़नी चाहिए अन्यथा सरकार को बहुत तकलीफ होगी।

श्री नेवटिया (ज़िला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व) : यह विधेयक अविवाद्य है और सर्वानुमति से इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

मैसूर के मेरे माननीय मित्र ने अधिक धारण-मूल्य देने का विरोध किया। यदि भद्रावती आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए अधिक धारण-मूल्य नहीं निर्धारित किये जाते तो उसकी दुर्दशा हो जाती। जब माल की कमी होते हुए भी हम उत्पादकों को लाभ नहीं उठाने देते तब हमारा फर्ज़ हो जाता है कि उनके लिये ऐसा मूल्य निर्धारित करें जिससे उनकी लागत निकल आए तथा उन्हें यंत्रसामग्री बदलने के लिए एवं लाभ के रूप में उचित पैसा मिले।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान और एक बात की ओर आकर्षित करूंगा। सरकार केवल बड़े बड़े कारखानों का विचार करती है। परन्तु देश में ऐसी छोटी छोटी भट्टियां हैं जहां लोहे के टुकड़े गलाये जाते हैं। इनकी संयुक्त उत्पादन-शक्ति आज प्रति वर्ष ६०,००० टन की है। उनके मार्ग में अनेक रुकावटें हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। हमें अच्छे लोहे के टुकड़ों के निर्यात पर नियंत्रण जारी करना चाहिए क्योंकि इन छोटी भट्टियों में वे गलाये जा सकते हैं। इन भट्टियों में ईन्धन की जगह बिजली का उपयोग होता है। अतः इनके लिए सस्ती बिजली उपलब्ध की जानी चाहिए।

[श्री [illegible]टिया]

मुझे और एक सुझाव रखना है। अभी अभी हमारी सरकार ने अमेरिका से एक करार किया है जिसके अनुसार हम ५५,००० टन इस्पात का आयात करने जा रहे हैं। इस प्रकार तैयार इस्पात का आयात करने के बजाय हमें बिलेट अर्थात् अपूर्ण इस्पात का आयात करना चाहिए। बिलेट को लपेट कर तैयार रूप देने वाले अनेक कारखाने हमारे देश में हैं जिन्हें पूरा काम नहीं मिलता। अतः अपूर्ण इस्पात का आयात कर उसे यहां पूर्ण रूप दिया गया तो यहां के लोगों को रोज़गारी मिलेगी। मुझे माननीय मंत्री से यही अल्प निवेदन करना था और मैं आशा करता हूं कि वे उस पर यथोचित गौर करेंगे।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं ने इसके पहले एक वैधानिक कठिनाई का निर्देश किया था और सभापति महोदय का निर्णय पूछा था। परन्तु आपने निर्णय नहीं किया। इसलिए मैं उसे दोहराता हूं। संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत विधेयक इस सदन के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को इसकी कल्पना थी। इसीलिए महान्यायवादी से उधार ली हुई द्वितीय रक्षा-पंक्ति उन्होंने छिपा कर रखी थी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने उधार नहीं ली। वह तो उपयोग के लिए ही होती है।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री इतने चतुर अवश्य हैं कि उन्होंने इस आपत्ति की अपेक्षा की थी। संविधान के ७वें अनुसूची की सूची १ की संख्या ४३ का जटिल स्वरूप उन्हें मालूम था और सलिए उन्होंने महान्यायवादी की अनुकूल राय अपने बाजे में तैयार रखी थी। महान्यायवादी ने जिस वाद का उल्लेख किया है उसमें, अर्थात् चरणजित लाल विरुद्ध भारतीय संघ के वाद में, जो १९५१ के ए० आय० आर० के पृष्ठ ४१ पर छपा हुआ है, उच्चतम न्यायालय द्वारा 'एकीकरण' का लक्षण तक नहीं बताया गया है। उक्त वाद प्रस्तुत प्रसंग में सर्वथैव असंबद्ध है। फिर भी मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री ने उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय को भी पूरा नहीं पढ़ा है। अन्यथा उन्हें विदित हो जाता कि प्रस्तुत विधेयक इस सदन की वैधानिक शक्ति के परे है।

माननीय मंत्री द्वारा जिस सूची १ का आधार लिया गया है उसकी कक्षा में प्रस्तुत विधेयक का अन्तर्भाव नहीं होता। यह विधेयक मूलभूत अधिकारों पर भी आघात करता है। विद्वान महान्यायवादी कहेंगे कि मूलभूत अधिकारों से इसका बहुत दूर का सम्बन्ध है। परन्तु उनकी वैधानिक पारंगतता तथा विद्वत्ता का ख्याल रखते हुए भी अत्यन्त खेद के साथ मैं उनसे अपना मत भेद प्रगट करता हूं। मुझ जैसा साधारण व्यक्ति यह साहस करता है क्योंकि वस्तु-स्थिति स्पष्ट है। सूची १ की संख्या ४३ तथा मूलभूत अधिकारों के सम्बन्धित उपबन्ध साथ साथ पढ़ने से मेरे दृष्टिकोण की यथार्थता प्रगट होगी। प्रस्तुत विधेयक में जगह जगह 'एकीकरण' (amalgamation) शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु सूची १ की संख्या ४३ में केवल 'संघीकरण' (incorporation) का उल्लेख है। हम सब लोग जानते हैं कि एकीकरण तथा संघीकरण के बीच मूलभूत भेद है। एकीकरण शब्द में दो या

अधिक संघों का अथवा समवायों का अस्तित्व गृहीत है । किन्तु संघीकरण तब हुआ करता है जब कोई संघ या संस्था या समवाय अस्तित्व में नहीं है । इस मूलभूत भेद के कारण आप एकीकरण को सूची १ की संख्या ४३ में ठूस कर नहीं भर सकते हैं । हो सकता है कि माननीय मंत्री के उद्देश्य बहुत उच्च हों । फिर भी वे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं कर सकते । महान्याय-वादी एक बार कहते हैं कि प्रस्तुत विधेयक संख्या ४३ के अन्तर्गत विधिवत् है और दूसरी बार वे संख्या ५३ का निर्देश करते हैं । संविधान में किसी बात की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं की गई है । उसमें प्रत्येक भिन्न शब्द का भिन्न और निश्चित अर्थ है । कोई न्यायालय यह नहीं कहेगा कि प्रस्तुत विधेयक संख्या ४३ या संख्या ५३ के अन्तर्गत विधिवत् है । दण्ड विधि में शायद ऐसा हो भी सकता है परन्तु व्यवहार विधि में यह बात हो नहीं सकती । एक बार उच्चतम न्यायालय द्वारा यह घोषित किये जाने पर कि प्रस्तुत विधेयक का जनकत्व सन्देहात्मक है, फिर अन्य कोई न्यायालय इसका समर्थन नहीं करेगा । प्रस्तुत विधेयक द्वारा संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है । महान्यायवादी कुछ भी कहें, हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिये । संविधान के अनुसार महा-न्यायवादी स्वयं यहां आकर भाषण दे सकते हैं । तो फिर उन्हें यहां लाने के बजाय उनकी टाइप-लिखित राय क्यों पेश की गई ?

मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि क्या प्रस्तुत विधेयक द्वारा मूलभूत अधिकार से सम्बद्ध अनुच्छेद १९ (१) च तथा छ का उल्लंघन नहीं होगा। पहले उन्होंने महान्यायवादी की साक्ष निकाली और बाद में उन्होंने मौन रखा। उन्हें इस वैधानिक विघ्न की कल्पना थी और उन्होंने आपत्ति की अपेक्षा की थी .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य एक ही युक्ति का बारम्बार पुनरुच्चारण कर रहे हैं। यदि उन्हें इससे अधिक कुछ नहीं कहना है तो उन्हें भाषण समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरा तर्क माननीय मंत्री के कानों में प्रवेश करे । वे तो सदा बात चीत में लगे रहते हैं । सदन से निवेदन करूंगा कि किसी अन्य पहलुओं का विचार करने के बजाय केवल एक ही बात का विचार किया जाय कि प्रस्तुत विधेयक द्वारा संविधान का अभि-क्रम हो रहा है । अतः इस विधेयक को अस्वीकार किया जाय ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं अभी उठाई गई वैधानिक आपत्ति का उत्तर देना चाहता हूं । प्रस्तुत विधेयक को शक्ति-बाह्य बताया गया है। परन्तु यह आरोप बिल्कुल ग़लत है । महान्यायवादी द्वारा दी गई युक्तियां तो प्रबल हैं ही परन्तु मैं उनके अलावा एक अन्य युक्ति देना चाहता हूं । अनुच्छेद २४८ में बताया गया है कि संसद् उन सब विषयों के बारे में विधि बना सकती है जिनका समावेश सूची २ अथवा सूची ३ में अर्थात् राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में नहीं किया गया है । इसके अलावा सूची १ की संख्या ९७ में बताया गया है : "कोई अन्य विषय जिसका समावेश सूची २ या सूची ३ में न किया गया हो । "

[श्री आल्तेकर]

अतः यदि एकीकरण का उल्लेख सूची १ में न किया गया हो और सूची २ तथ सची ३ में भी उसका उल्लेख न हो, तो सूची १ की संख्या ९७ के अनुसार अथवा अनुच्छेद २४८ के अनुसार, संसद् को उसके बारे में विधि बनाने का अधिकार है। ये अवशिष्ट शक्तियां हैं और यह सदन इस देश का सर्वश्रेष्ठ प्राधिकारी है जो किसी विषय के बारे में विधि बना सकता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस सदन को मूलभूत अधिकार सीमित करने की भी शक्ति है ?

श्री आल्तेकर : अनुच्छेद १९ (१) (छ) में जो मूलभूत अधिकार दिया गया है उस पर खंड (६) द्वारा मर्यादा लगाई गई है। खंड (६) कहता है :

> उपखंड (छ) की कोई बात उक्त खंड द्वारा दिये गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर भाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिए रुकावट न डालेगी ; तथा विशेषतः.....

दो ऐसे समवाय हैं जो पृथक् रुप से धन्धा कर रहे हैं। उनका एकीकरण किया जा रहा है। वे स्वयं इस एकीकरण का स्वागत करते हैं। अतः साधारण जनता के हितों में यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सदन को अनुच्छेद १९ के खंड (६) द्वारा जो अधिकार प्राप्त हैं उनमें प्रस्तुत विधेयक का अंतर्भाव हो सकता है। अतः यह सदन प्रस्तुत विधेयक पारित करने के लिए सक्षम है।

श्री बरुआ (नौगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"अब प्रश्न रखा जाए"।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, हम निवेदन करना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : मैं स्वयं उत्सुक था कि विरोधी पक्ष को चर्चा में भाग लेने का अवसर मिले। मैं ने प्रतीक्षा की, परन्तु कोई खड़ा ही नहीं हुआ।

श्री के० के० बसु : सब खड़े हुए थे।

सभापति महोदय : अब सदन द्वारा निर्णय हो चुका है और वह मुझ पर बन्धनकारक है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हम सभा त्याग करेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि यहां जो कुछ भी कहा गया है उसके उत्तर में किसी विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है। शायद जिन माननीय सदस्यों ने बाधाएं डाली थीं वे कुछ कहते जिसका उत्तर देना आवश्यक हो जाता। श्री ए० सी० गुहा ने दो समवायों तथा सरकार के बीच के करार के बारे में कुछ प्रश्न उठाए थे। मैं उन्हें तुरन्त बता देता हूं कि मतैक्य अवश्य है परन्तु अभी कोई करार नहीं हुआ हैं। करार तभी होगा जब सदन ऋण देना स्वीकार करेगा।

लेकिन ता० ३१ अक्तूबर को उक्त ो मवायों ने अपने अंश-धारकों को जो परिपत्र भेजा था जिसका शीर्षक था 'विस्तार योजना की लागत'— उसमें स्पष्ट कहा गया है :

> "पुनर्निर्माण तथा विकास के विश्व बैंक ने संकेत किया है कि, परस्पर स्वीकृत शर्तों के अधीन, विदेश से यंत्रसामग्री खरीदने के लिए समवाय को जो ऋण आवश्यक होगा वह देने के लिए बैंक तैयार है। भारत सरकार ने भी यह कृपापूर्ण संकेत किया है कि उक्त ऋण के लिए वह ज़ामिन रहेगी। पूंजी की अवशिष्ट आवश्यकताएं स्वयं समवाय द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी। आपके संचालकों को विश्वास है कि संयुक्त समवाय के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध होगी।
>
> सन् १९५० में सरकार ने हमारे दो समवायों को कुल ५ करोड़ रुपए का ऋण दिया। एकीकरण के बाद ये दो ऋण इकट्ठे किये जाएंगे और भारत सरकार ने यह भी संकेत किया है कि लगभग १ १/२ करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण देने को वह तैयार होगी। इस इकट्ठे ऋण पर उसी दर से ब्याज लिया जाएगा जिस दर से विश्व बैंक लेगा।
>
> भारत सरकार ने यह भी संकेत किया है कि वह आय० आय० एस० सी० ओ० को १० करोड़ रुपए का विशेष ऋण देने के लिए तैयार है। इस ऋण के लिए कोई जमानत नहीं होगी और १९५७ के अन्त तक उसपर न कोई ब्याज लिया जाएगा, न उसकी वापसी की कोई तिथि होगी।"

इससे कम से कम यह ज़ाहिर होगा कि हम कोई मुफ्त दान नहीं दे रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भारत के इस्पात-समवाय इस वर्ष के आरंभ में धारण-मूल्य की वृद्धि के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे उन्हें जो अतिरिक्त लाभ होगा उसके आधार पर वे विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजनाएं हाथ में ले सकेंगे। सरकार के सामने एक निश्चित प्रस्ताव रख गया था। उस पर ग़ौर करने के बाद सरकार ने सोचा कि उसे इन निजी समवायों का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए ग्राहकों पर मूल्य-वृद्धि नहीं लादनी चाहिए। परन्तु उसने यह भी सोचा कि यदि इस अतिरिक्त मुनाफ़े को सरकार अपने पास संचित रखेगी तथा यदि इस संचित निधि का उपयोग इस्पात उद्योग के विस्तार एवं विकास के लिए किया जाएगा तो फिर वह इस्पात के ग्राहकों से अधिक मूल्य देने के लिए कह सकेगी। सरकार ने इस तत्व को स्वीकार किया और इसीके परिणाम-स्वरूप सन् १९५२ के मध्य से इस्पात के बिक्री-मूल्य में दो बार वृद्धि हुई है। अभी तो सरकार का इरादा यह है कि इस अतिरिक्त धन को समकारी निधि में जमा किया जाए। शायद कुछ समय के बाद हमें इस निधि के विनियोग के बारे में कोई विधान बनाना पड़ेगा।

कल्पना यही है कि जो धन वस्तुतः ग्राहकों से लिया जाता है उसका उपयोग इस्पात उद्योग के विस्तार एवं विकास के लिए होना चाहिए। अर्थात, जो धन संचित निधि में जमा होगा उसका व्यय इस

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सदन की अनुमति बिना नहीं हो सकता। हमारा इरादा है कि यह समकारी निधि इस प्रकार विनियमित किया जाए कि सरकार विकास के कामों के लिए इसका उपयोग कर सकें। इस बात को समझ लेने के बाद माननीय सदस्यों को इसमें विरोध का कोई कारण दिखाई नहीं देगा। ये समवाय जो ब्याज देंगे वह उनकी लागत में समाविष्ट होगा और धारण-मूल्य में उतनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अतः मुफ्त में दान बांटने की जो बातें की जा रही हैं वे सब अवास्तव हैं। जब तक समवाय द्वारा उत्पादन चालू नहीं होता तब तक उसे कुछ सहायता देने का सवाल है। उसके बाद सरकार तय करेगी कि ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, ब्याज का भुगतान किस प्रकार होना चाहिए, तथा मूलधन की वापसी कैसी होनी चाहिए। इन सब बातों का निर्णय उचित समय तक लम्बित रखा गया है। इन समवायों को केवल इतना ही आश्वासन दिया गया है कि यदि वे हमारी शर्तें मानते हैं तो हम तटकर आयोग की सलाह से इस बारे में सारे निर्णय करेंगे। इस स्पष्टीकरण से श्री गुहा को उत्तर मिल जाता है।

दुर्भाग्य की बात है कि श्री बंसल ने तटकर आयोग के प्रतिवेदन की आलोचना की जो अत्यन्त अन्याय है। पूरी जांच पड़ताल के बाद तटकर आयोग ने प्रमाण निर्धारित किया है। सारी वस्तु-स्थिति उनके सामने थी। उनके पास सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ के प्रतिवेदन मौजूद थे। उन्होंने लागत के ढांचे की सारी समस्या का अध्ययन किया। यदि मेरे माननीय मित्र सन् १९५१ के प्रतिवेदन की ११वीं कंडिका पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा क आयोग इस मामले के सारे पहलुओं से परिचित था। उन्होंने प्रतिवेदन में इन बातों की चर्चा नहीं की है इसका मतलब यह नहीं कि वे अनभिज्ञ थे अथवा उन्होंने इन समवायों की वित्तीय दशा अथवा लागत के ढांचे की उचित परीक्षा नहीं की थी।

मैसूर के माननीय मित्र ने कुछ मौलिक बातें कही हैं। उन्होंने सरकारी कार्यवाही का अधिकतर समर्थन ही किया। डा० एम० एम० दास ने भी यही किया। दुर्भाग्यवश, श्री वी० बी० गांधी ने मेरे प्रतिपादन में दोष निकाले। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इन दो निजी समवायों की स्थिति सबको मालूम है। माननीय सदस्य उनके हिसाब देख सकते थे। हिसाब उपलब्ध हैं। यदि वे मुझसे मांगते तो मैं उन्हें दे देता। इन मामलों में सरकार ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सकती जो जनता को मालूम न हो।

श्री नेव टिया ने कुछ बातें कही हैं जो प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध नहीं हैं। उन्होंने लोहे के टुकड़ों के उपयोग की बात की। एक सज्जन ने कहा हम इन टुकड़ों का उपयोग नहीं करते ; दूसरे सज्जन ने कहा करते हैं। परन्तु हमारा अनुभव है कि बिजली बहुत महंगी पड़ती है। शायद इसी दिशा में कुछ कोशिश करनी चाहिए। हिराकुंड तथा भाखड़ा-नांगल से विद्युत उपलब्ध हो जाने पर हम बिजली की भट्टियां खड़ी कर सकेंगे जो लोहे के सारे टुकड़े उपयोग में ला सकेंगी।

श्री वी० पी० नायर ने ऐसे तथ्यों पर अपना तर्क खड़ा करने की कोशिश की जिनका संविधान से तथा प्रस्तुत विषय से कोई सम्बन्ध न था। मुझे केवल इसी बात का सन्तोष है कि जिस प्रकार भ्रष्ट देवदूत

भी वेदों का उद्धरण दे सकता है उसी प्रकार एक साम्यवादी मित्र संविधान का अतिक्रम न करने की बात कह रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री आल्तेकर ने विधेयक का जो समर्थन किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। यह विधेयक सीधा साधा है। हम वही करने जा रहे हैं जो किसी न्यायालय द्वारा समवाय अधिनियम के अधीन सट्टा रोकने के लिए किया जा सकता है। हम न्याय तथा शीघ्रता के साथ हमारे उद्देश्यों की सिद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं।

अतः मुझे उम्मीद है कि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसी रूप में सदन इसको स्वीकार करेगा।

इसके पश्चात् लोहा तथा इस्पात समवाय एकीकरण विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई।